

## **The Repealing and Amending Bill,2025- Passed**

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND  
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI  
ARJUN RAM MEGHWAL):** Sir, with your permission, I beg to move:

?That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration.?

सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। सर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत गवर्नेंस के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं। सुशासन व विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कानून बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व विधायिका का रहता है। प्रत्येक लेजिस्लेचर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाजहित में ही कानून बनाएं, लेकिन एक समय आता है जब लगता है कि अब इस कानून की उपयोगिता नहीं है या यह कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, तो ऐसे कानूनों को निरस्त भी किया जाना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड में लीगल सिस्टम में सुधार कर कॉमन मैन के लिए अधिक सुलभ बनाने के संकल्प के अंतर्गत केन्द्र सरकार से ऑब्सोलीट, रिडंडेंट तथा अननेसेसरी इनैक्टमेंट्स की समीक्षा प्रारंभ की। पुराने एवं अप्रसंगिक लॉ के प्रभावों को समझने में जनरल पब्लिक को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऑब्सोलीट तथा रिडंडेंट लॉ को हटाने के उद्देश्य से लॉज़ की व्यापक समीक्षा हेतु एक विस्तृत एक्सरसाइज की गयी और उसके तहत वर्ष 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हमने विकसित भारत की ओर बढ़ने का एक सुनहरा प्रयास किया है। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई, 2014 से लेकर अब तक 1577 अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है। इन 1577 निरस्त कानूनों में से 1562 कानूनों को पूरी तरह रिपील किया और 15 कानूनों को री-इनैक्ट किया। इसी क्रम में मैं आज का बिल लेकर आया हूँ। जब चर्चा होगी तो उस समय जवाब दिया जाएगा। प्रस्तावित इस बिल में 71 ऐसे अधिनियम हैं, जिनमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स हैं और 65 अमेंडमेंट एक्ट्स शामिल हैं। यह सुधार गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ता हुए एक कदम है। ऐसे कानून, जिन पर औपनिवेशिक व कॉलोनियल छाया थी, फिर भी हम समाप्त नहीं कर पाए, अब मोदी जी के कालखंड में उनको समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक ऐसा कानून है जिसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, बाकी तो जब चर्चा होगी तब मैं बताऊंगा।

सर, एक कानून था, जिसका नाम Indian Succession Act, 1925 था। जिसका उद्देश्य था कि अगर कोई हिंदू, बुद्धिष्ट, सिक्ख, जैन व पारसी कोई विल करेगा तो उसको, आप असमानता का भाव देखिए, प्रोबेट करानी पड़ेगी। हमारी तीन ऐसी स्टेट्स हैं, जहां पर इसे प्रोबेट कराना पड़ता था। लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं, अब ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह का जो कानून है, कोलकाता, मद्रास और मुम्बई में यदि कोई भी हिन्दू विल करेगा तो उसे प्रोबेट कराना पड़ेगा। अगर कोई और करेगा तो उसे नहीं कराना पड़ेगा। यह असमानता का भाव है। अगर असमानता पर आधारित कानून भी हैं तो उनको भी समाप्त नरेन्द्र मोदी जी ही कर रहे हैं। क्योंकि समानता का सिद्धांत हमारे बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया है। इस अवसर पर मैंने बिल के बारे में रिमाक्स दिए हैं और उसके बाद जब चर्चा होगी तो आपकी अनुमति से मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा।

सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार ।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय सदस्यगण, यह सदन सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 पर आज चर्चा करेगा । माननीय अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया है कि जो सदस्य इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अपने संशोधनों को 3.30 बजे तक संसदीय सूचना कार्यालय, नोटिस ऑफिस में दे दें ।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, how is it possible? The Bill has been introduced today itself. How can it be discussed today?

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU):** This is a special authority with the Chair, and the waiver can be provided by the hon. Speaker. We had earlier listed the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 but then there was a request from the Opposition Parties that the Bill may be taken up tomorrow as they needed some time to study it. I had agreed to that. We will take up the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 tomorrow.

Today, we can take up the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025, which is innocuous, good for everybody, and will not adversely affect anyone. I hope, Shri Premachandran will also agree with the House that we should take it up in the interest of the needy people and pass it as soon as possible.  
? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी ।

? (व्यवधान)

**ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** Respected Sir, I stand here today to participate in what has become an annual ritual of this Government ? the great legislative illusion, known as the Repealing and Amending Bill, 2025.? (Interruptions)

Sir, the Government is painting a picture that it is reforming and cleaning up the Statute Book. They speak of ?Minimum Government, Maximum Governance?. They tell the nation that by passing this Bill, they are liberating us from the burden of history. But let us be honest about what is happening here today. This House, the highest forum of our democracy, is being made to spend its precious time ? the

time that belongs to the suffering farmers of our nation, the time that belongs to the unemployed youth of our nation, the time that belongs to the victims of climate disasters, etc. ? on deleting laws that the same Government passed barely 24 months ago.

Sir, look at the First Schedule in this Bill. They are repealing the Competition (Amendment) Act, 2023 and also the Cinematograph (Amendment) Act, 2023. What kind of governance is this? In 2023, they celebrated these laws as 'historic reforms?'. In 2025, they are repealing them to clean up the books. What kind of drama is this? Is this Parliament a content creation factory for their PR team? Do we pass laws so that they can repeal them later and boast, 'Look, we removed 100 laws today'? This is not reform. It is a shameful thing. This is inflation of data. The Government must listen to it. You are padding your report card because you have no real achievements to show on the subjects that matter ? jobs, economy, and social harmony. The confusion does not end there. You have thrown the entire criminal justice system into chaos by replacing the IPC and the Indian Evidence Act with the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Bharatiya Sakshya Adhinyam respectively. Yet today, you have brought amendments to the Code of Civil Procedure, 1908. I would urge the Government to make up its mind. Are we in the ?Amrit Kaal? of new laws or are we still patching up laws passed during the colonial era? This Bill is a symbol of a Government that loves paperwork but hates accountability.

While you are busy fixing spelling mistakes in the Statute Book, the people of the country are facing many serious issues. The people of my constituency are facing many issues like human-animal conflict, natural calamities, etc. You have time to fix registered posts *versus* speed posts. But you have no time to fix the broken disaster compensation system. I refuse to appreciate this housekeeping exercise while the house itself is on fire. However, since we are forced to debate this Bill, let me expose the dangerous changes hidden inside this so-called routine legislation.

I would also like to express my strong concerns, reservations, and opposition to the Repealing and Amending Bill, 2025, introduced by the hon. Minister. While the Government claims that this is a routine housekeeping exercise to remove obsolete laws, a closer look at the Second Schedule reveals amendments that are not merely formal but have serious substantive implications for the common man and for our disaster resilience. How can we casually and lightly pass these amendments without any detailed discussion? That is a major question.

Let me raise some concerns, limited only due to lack of time. The first concern relates to the dilution of clause 4, Second Schedule of the Disaster Management Act. I represent Idukki, a constituency highly vulnerable to natural calamities. The Disaster Management Act is very important for my constituency. I am deeply concerned about the amendment proposed to the Disaster Management Act. The Bill seeks to amend Section 30, sub-Section 2, clause 6, replacing the word 'prevention' with 'preparation'. Both prevention and preparation are important for disaster management. Prevention is aimed at stopping a natural calamity whereas preparation is about getting ready for rescue works. Therefore, both are very important. But in this case, the word 'prevention' is being replaced with 'preparation'. I do not know what the relevance of this change is.

The Statement of Objects and Reasons claims that this rectifies an inadvertent error but we know that words matter in law. Prevention is a priority duty to stop disasters before they occur. Preparation means merely getting ready for the inevitable. By changing disaster management plans from prevention to preparation, are we signalling that the State is giving up on preventing ecological disasters? It is a serious question. In the context of climate change, we need stronger preventive measures and binding preventive mandates, not a semantic delusion that lowers the bar for district authorities. We cannot reduce our guard from prevention to mere preparation. The disaster management authorities of our country are doing both. However, the Government is diluting prevention and taking up preparation only. There is a serious lacuna.

Secondly, I oppose the amendments to the Code of Civil Procedure, 1908. First of all, the Government has to clarify whether it is amending the Code of Civil Procedure, 1908 or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. What is the sanctity of this process, when you do these activities again and again with no prior homework. The Bill seeks to replace the time-tested 'registered post, acknowledgement due' with 'speed post with registration and proof of delivery' in multiple sections, including Order 5 and Order 21.

Sir, 'acknowledgement due' requires a physical signature, a tangible proof that the specific individual has received the summons. 'Proof of delivery' in the Speed Post system is often just an online status update or a digital entry by a delivery agent. In rural India, where internet connectivity is still limited and digital literacy is evolving, relying solely on a system where a delivery agent marks an article as 'delivered' without a physical 'acknowledgement due' card is dangerous.

How will a poor litigant prove that he never received the summons, if the online system shows it as 'delivered'? This amendment removes the bracketed protection of 'registered post acknowledgement due' in Order 5, Rule 9, Clause 4, potentially weakening the verification process for defendants residing outside jurisdiction.

Sir, we are prioritizing speed over justice. This change is premature for rural India and the falsehood of repealing recent Acts (First Schedule). Finally, look at the First Schedule. The Government is repealing Acts as recent as 2023, such as the Competition (Amendment) Act, 2023 and the Cinematograph (Amendment) Act, 2023. While I understand the concept of spent laws, this annual ritual of passing Bills just to repeal amendments made last year is a waste of Parliament's time. It creates an illusion of reform boasting about repealing hundreds of laws, when you are simply deleting the Amendment Acts passed months ago.

Sir, I am concluding. I cannot support a Bill that simply dilutes our disaster management framework and jeopardizes the legal rights of rural litigants under the guise of modernisation.

I urge the Minister to withdraw the amendments to the Disaster Management Act and the Code of Civil Procedure very immediately because the Government is not at all taking it serious - while introducing this Bill - and is passing these kind of amendments without a detailed discussion. It is a dangerous thing also. I am opposing this Bill. Thank you very much.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत इस निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इसके लिए माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ।

माननीय सभापति जी, हम लोग आम तौर पर चर्चा करते हैं कि इस देश में दो-तीन बातें बहुत प्रचलित हैं, कि अरे! न्याय में बड़ी देरी हो रही है, आमजन पिस रहे हैं, हमारे केसेज आठ-दस सालों से चल रहे हैं। इतना कुछ देखने-सुनने के बाद भी अगर लोग मौन रहें, सरकार मौन रहे तो यह मोदी सरकार में नहीं हो सकता है। इस नाते मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज इस बिल, इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। मैं कई बार कविताएं भी लिखता हूँ। आज इस विषय पर मैं सोच रहा था कि

?कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है

जब-जब भ्रम जाल बड़ा होगा, उद्धोधन बहुत जरूरी है !?

लोगों को मोदी सरकार से बहुत आशा है। यह पूरा देश बहुत आशा से उनको तीसरी बार चुना है।

?मोदी सरकार से आशा है, अब जन विश्वास पूर्ण होगा

जब जब भ्रम जाल बड़ा होगा, तो संशोधन बहुत जरूरी है !?

मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे 71 कानून दिखे, जिनको आज संशोधित या बदला जा रहा है। हमारे माननीय साथी कुरियाकोस जी ने कहा है कि यह सदन के समय की बर्बादी है और क्या-क्या है, यह शर्मनाक है। मैं अपने उस साथी को बताना चाहता हूँ कि आज जो संशोधन आया है, इसमें हम लोग वर्ष 1886 से वर्ष 1988 तक कुछ कानूनों को संशोधित या समाप्त करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह काम आजादी के 20-25 सालों के बाद ही हो जाना चाहिए था। यह काम वह करेगा, जिसको पिसती हुई जनता के सरोकार दिखेंगे। इसे वही करेगा जिसको पता होगा कि कानून के जाल में आम आदमी पिस रहा है। 71 कानूनों में से मैक्सिमम वे कानून हैं जो अमेंडमेंट्स के बाद कानून के मुख्य अनुच्छेदों में शामिल हो चुके हैं। जब अमेंडमेंट्स किसी मुख्य अनुच्छेद में शामिल हो गया है तो फिर उसको बनाए रखने का क्या औचित्य है? जो लोग संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं, उनको कम से कम यह सोचना चाहिए कि विधि की पुस्तिका संक्षिप्त होनी चाहिए। इसमें 71 कानून को संशोधित या समाप्त कर रहे हैं, उनमें 4 कानूनों को अमेंड कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी ने बताया, हो सकता है कि यहां सदन में बैठे हुए कुछ माननीय सदस्यों के कान में उस समय माइक न लगा हो, कुछ लोगों को पता न चला हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में न्यायालयों में डिले टैक्टिस चलती है, ये सभी को पता है। क्या करना है, देरी कर दो, क्या करना है, उलझा दो। अब हम यह भी सुनते हैं कि Justice delayed is justice denied. अगर इसकी चिंता मोदी सरकार कर रही है, हमारे विधि न्याय मंत्री जी कर रहे हैं तो मैं इसको बहुत बड़ा संशोधन मान रहा हूँ और इसके लिए उनका बार-बार धन्यवाद करता हूँ।

देश में आज ऐसे अनेक कानून हैं जो विधि पुस्तकों में दर्ज हैं, लेकिन पहले से अप्रासंगिक हो गए हैं। अब उनका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं रह गया है। जिन्हें पहले ही नये कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, फिर भी हमारे साथी लोग बोलते हैं, इनको विरोध ही करना है।

सभापति जी, मैं कला जगत से आया हूँ और हमारी शिक्षा कहती है कि अच्छी बात कहीं की भी हो, उसे अपनाना चाहिए। विपक्ष का यह अर्थ हमेशा रहा है कि चाहे अच्छा भी हो रहा हो तो उसका विरोध करना है। जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, किसी को बुरा न लगे, पहले वाले प्रधान मंत्री भी अच्छे ही थे, लेकिन जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, एक-एक व्यक्ति की डिबेट मिलियन-मिलियन लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में जब इस डिस्कशन को इतने लोग सुन रहे हैं, तो संशोधन की गरिमा को भी समझने की आवश्यकता है। ऐसे कानून न केवल भ्रम पैदा करते हैं, बल्कि न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को भी अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। इन 71 कानूनों को, वैसे तो बहुत सारे कानून हैं और जिन साथियों को पढ़ना होगा, वे पढ़ेंगे। वर्ष 2016 और 2018 में भी हम लोगों ने कई अमेंडमेंट्स किए, जो मुख्य अनुच्छेद में शामिल हो गए हैं, इसलिए उनका वहां बने रहने का कोई औचित्य नहीं है और वे केवल भ्रम ही पैदा करेंगे और यह बात हमारे विधि न्याय मंत्री जी ने समझी। कई ऐसे कानून हैं, जिनको वर्ष 2019 में हमने अमेंड किया और अब वे मुख्य कानून की मुख्य धारा में आ गए हैं। वर्ष 2020 में भी और वर्ष 2021 में भी कानून अमेंड किए। वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में भी कानून अमेंड किए लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद उन्हें मुख्य कानून में शामिल किया और जब मुख्य कानून में शामिल कर लिया तो उनका वहीं बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी की एक लाइन गली-गली में और हर आफिस में चलती है और लाइन है - मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन। जब किसी से आशा हो जाती है और वह सही मायने में यदि देश की जनता के दर्द को समझता है तो इन चीजों पर बहुत फोकस रहता है। मैं जब देश के लोगों से बात करके पूछता हूँ कि आज कल आपको अपने परिचय के लिए कोई फार्म वगैरह किसी गेजेटेड अधिकारी से अटेस्ट तो नहीं करना पड़ता है, तो वे कहते हैं कि हाँ, अब हमें किसी अधिकारी से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए कि इस काम के पीछे कितनी बड़ी सोच होगी और यह काम ऐसे ही संशोधन से हुआ था और देश में सेल्फ अटेस्टेशन आया था। यह कितनी बड़ी बात है कि देश की जनता सेल्फ अटेस्टेड करके जो लिखेगी, उसे देश की सरकार मान लेगी क्योंकि वर्तमान प्रधान मंत्री और वर्तमान सरकार को देश के प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास है और यह विश्वास मोदी जी ने दिया है।

महोदय, मैं दिल्ली से सांसद हूँ और अपने क्षेत्र की पुलिस कमेटी के हैड होते हैं। पहले डीसीपी, एसीपी आदि बड़े अधिकारी डरते थे कि यदि हम केस करके इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक कानून बदल कर यह प्रावधान किया कि जो वर्तमान में उस क्षेत्र का अधिकारी है, वही उस केस को देखेगा, मतलब कि पद उस केस को देखेगा। ऐसा प्रावधान करके गृह मंत्री जी ने देश के करोड़ों लोगों का काम आसान कर दिया। जब यह रिपील बिल आया है, मैं आपको चार कानून, जिन्हें हम संशोधित कर रहे हैं और बाकी कानूनों को तो हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। हमारी जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897, जब हम कहते हैं कि सर्व, सेंड, गिव नोटिस, तब इन शब्दों का अर्थ क्या होगा, यह हमें ही परिभाषित करना होता है। देश के हजारों केंद्रीय कानून इसी पर निर्भर हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि धारा-27 के अनुसार पहले कानून की स्थिति यह थी कि यदि कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो माना जाएगा कि वह समय पर पहुंच गया। कोर्ट में बहस हो रही है और अब रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा समाप्त हो गई है। जब रजिस्टर्ड पोस्ट ही समाप्त हो चुका है और उसकी जगह स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन करना, कानून को सेवा प्रणाली के अनुरूप अपडेट करना बहुत बड़ा कार्य है। जैसा हमारे विधि मंत्री जी ने बताया, मैं सुनकर हैरान हूँ कि हमारे देश में अभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भावनाओं को ऐसे चोट पहुंचाई जाती थी, अगर ये संशोधन नहीं आता। आप सोचिए कोलकाता में, चैन्नई में और मुम्बई में कुछ समुदायों को, धारा 213 कहती है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी में भले ही इनकी वसीयत हो गई हो, लेकिन जब तक वह न्यायालय से प्रोबेट नहीं होगी, उत्तराधिकारियों को अधिकारिता नहीं मिलेगी और विल को विल नहीं माना जाएगा जबकि मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी के लोगों की विल ही मान ली जाएगी। बाबा साहब के सपनों को ऐसी चोट और उसके बाद भी हमारे साथी कह रहे हैं कि समय की बर्बादी है। मैं समझता हूँ कि विल का असली अर्थ यहां भी लागू होगा और साथ-साथ विधि न्याय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम डिले टेक्स्ट पर बात कर रहे थे। नोटिस कैसे भेजा जाना चाहिए, इस बारे में भी संशोधन की बात की है। जब हम डिजास्टर से निपटने के लिए पूर्व में तैयारी करेंगे, तभी हम समस्या का सही ढंग से निवारण कर सकते हैं।

माननीय सभापति जी, मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित करके देश को एक सरल, प्रभावी और नागरिक हितैशी कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। है, पहले जब लोक सभा में विधेयक आते थे, तो वे पहले संसदीय समितियों या प्रवर समितियों में जाते थे और वहां विचार-विमर्श होने के बाद व्यवस्थित होकर वे विधेयक सदन में आते थे, जिन पर चर्चा होती थी, उसके बाद वे पास किए जाते थे। भाजपा जब से सत्ता में

आई है, तब से जिस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठने की प्रवृत्ति बनी है, निश्चित रूप से वह देश के लिए बहुत सम्मानजनक नहीं है। यह प्रवृत्ति इस विधायिका की गरिमा को गिराने का काम करती है। उदाहरण के लिए आज ही बीमा और संशोधन विधेयक आया, आज ही इंद्रोड्यूस हुआ, आज ही चर्चा होगी और आज ही पास होगा। इतना बड़ा विधेयक, जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है, उसे एक दिन में इंद्रोड्यूस करके पास करना इस सदन की गरिमा को खंडित करने जैसा कार्य है।

मान्यवर, उसी तरह से आज जो यह निरसन विधेयक लाया गया है, इसमें लगभग 70 विधेयक ऐसे हैं, जिनको निरसित किया जा रहा है। इनमें से 6 केवल ऐसे हैं जो वर्ष 1988 तक के हैं, बाकी सभी के सभी वर्ष 2016 के बाद के हैं। जब मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद के शेष विधेयक हैं, जिनको आज महसूस किया जा रहा है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उनको भी जल्दबाजी में लाने का काम किया गया, जिसके कारण आज हमें इस तरह का विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि जल्दबाजी में सदन पहली तारीख से चल रहा है। तमाम बार बीएसी की बैठक हुई, उसमें कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि ये सारे विधेयक आएंगे। कल की बैठक में एक साथ 7 विधेयक लाने का निर्णय लिया गया कि उन पर चर्चा होगी और वे पास होंगे। यह इस बात का परिचायक है कि इस सरकार की नीति सुनिश्चित नहीं है। विचार-विमर्श करके कोई विधेयक नहीं आता। जिस तरह से मनरेगा जैसा विधेयक, जिसने इस देश के तमाम मजदूरों को अपना एक अस्तित्व देने का काम किया, उनको रोजी-रोटी देने का काम किया व महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके नाम को हटाकर एक ऐसा विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधानसम्मत नहीं है। उसी तरह से जल्दबाजी में लाए गए ये सारे विधेयक हैं, जिस कारण आज इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह आज इस पर फिर से विचार करने का काम करें कि वह यदि जल्दबाजी में आज इसका निरसन करने का प्रस्ताव लाए हैं, तो कल फिर इसे स्थापित करने का प्रस्ताव किसी न किसी रूप में लाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे सदन की गरिमा में इजाफा नहीं होगा, बल्कि इसकी गरिमा प्रभावित होगी।

अतः मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर फिर से विचार करें, इसको वापस लें और संसदीय समिति में ये सारे प्रस्ताव ले जाएं। वहां संसदीय कमेटी विचार-विमर्श करेगी। उसके बाद ठोस निर्णय के साथ जब प्रस्ताव आए, तब इसे सदन में लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से बुलेट ट्रेन पर बैठकर हम सैर कराने का काम करें, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, उसी तरह से एक लॉलीपॉप दिखाने का काम इस देश के साथ किया जा रहा है। इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अंतः मैं चाहता हूँ कि इसे वापस लेकर, कमेटी में ले जाने का काम करें और विचार करें कि इसकी क्या आवश्यकता है? माननीय मंत्री जी भी जिन विधेयकों को निरसित कर रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएं कि आज ये अप्रासंगिक क्यों हो गए हैं? ये वर्ष 2016 से 2023 तक में लाए गए विधेयक हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी में ये क्यों लाए गए और आज ऐसी क्या आवश्यकता है कि उनको निरसन करने का काम किया जा रहा है? यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**HON. CHAIRPERSON:** Shri Kalyan Banerjee ? not present.

Hon. Member, Dr. Kalanidhi Veeraswamy ji

**DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):** Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Repealing and Amending Bill, 2025.

We feel that the passing of this Bill is not at all necessary. You feel that you have a majority, and you are bringing in Bills, and you are either abrogating them or amending them according to your choices just because you have a majority.

I would like to speak about the great Mavalankar. He had spoken about how the minority should be treated. He said, "Just because you have a majority in the Parliament, by raising of hands, if you are going to vote on the sentiments of the people, this is not a country which is democratic." This is what he had mentioned. This Government is proving his words exactly right.

If you look at the Bills which have been brought, passed, and enacted as law, you will find that in the last 10 years, there have been several Bills which have been enacted and made as laws. The former Supreme Court Chief Justice, Mr. Ramana had mentioned, "We are not passing Bills with adequate debate, discussions, deliberations, or referring them to Standing Committees, and because of that, they are having problems in interpreting the law and passing judgments." Also we find that when you pass certain laws, within a year or two, you bring it back and again amend it. So, if you can amend one particular law, it should stand the test of time, where at least for a decade or two, it should be alive. But you are bringing in amendments, which are again re-amended and re-amended within a couple of years, showing that this Government does not have a clue about the direction in which they are travelling.

Sir, to talk about the laws which have been brought in, they are against the people, anti-democracy and anti-people. The farm laws are a one standing example. When you brought in the farm laws, Opposition Members, having discussed with the farmers, had brought out the farmers' sentiments, talking about not needing this particular Bill where it will destroy the farming community. But just because you had a majority, you spearheaded yourself, and you made sure that it will be brought in by brute force. And there were thousands, if not lakhs of farmers, who had to protest, not for one day or two days, but for almost one and a half years, where 700 farmers had to die before you could realise their requirements and their requests, and then you had to repeal that.

Even when demonetisation was brought in, the hon. Prime Minister said that he will eradicate terrorism, he will eradicate counterfeit money and black money. He

had mentioned all these things. He said that tie me to a post and whip me if this is not done within 90 days. Now, it has been several years, and what was the effect of demonetisation? About 99.3 per cent of the notes have come back. So, where is the black money? You were talking about black money being hoarded all over the country, but we find that only the BJP people were having the Rs. 2000 notes. When it came out, the BJP people were the ones who had access to that and it was caught by the Income Tax Department, whereas the common man was standing in a queue and hundreds of people died standing in the queue.

These are the things that the Government has been doing. You had brought in abrogation of Article 370. When the abrogation of Article 370 was brought in, we were speaking against that because we felt that J&K needs do have a special place. It is a jewel of our country, bordering Pakistan. They had to have their own security. You said that you have removed it, and now, there will be no terrorist activities happening over there. But sadly, Pahalgam was a total failure of the intelligence of the Union Government's policing mechanism and their military activities. It is a blatant failure of this Government where five terrorists were able to come, not one or two kilometres, but hundreds of kilometres deep into the heart of India from Pakistan and kill about 27 tourists. In response to that, when we wanted to have a negotiation, unilaterally you decided to go for a war. We did not know what was the objective of that war. We did not know what was the ultimate aim of that war. The only question we asked was, 27 people were murdered by terrorists, what happened to those five terrorists. None of them spoke about that.

**HON. CHAIRPERSON :** Please speak on the Bill.

**DR. KALANIDHI VEERASWAMY:** After the abrogation of Article 370, this is what has happened. So, I am talking about bringing in repeals, amendments and all these things. Anyway, you are doing it on your own, just because you have a brute majority.

I request the Union Government to at least listen to the Opposition and have discussions and deliberations. Even now, you are bringing in some laws whose names we cannot understand. Today, we are even changing the name of a Bill whose name I was not even able to pronounce. I am not even able to understand these words.

So, I request the Government to ensure that when they are bringing in a Bill, they make it in English, so that the whole country can understand it, and that you do not

try to push Hindi down our throats by saying that these are the names of Bills and we have to say those names.

With these words, I oppose this Bill and hope that the Union Government will take cognisance of these words. Thank you.

**SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM):** Thank you, Sir. I rise to stand in support of the Repealing and Amending Bill, 2025, which addresses a subject that lies at the very heart of effective governance and is also very close to my heart. This is not optional; this is essential for a modern and dynamic democracy.

Some of my colleagues in the Opposition who have spoken here have raised certain points, which I will address later in my speech. But one thing on which I believe we can all agree, is that change is the only constant. Our Constitution-makers recognised this timeless truth. They understood that governance must evolve with society and, therefore, built Article 368 as the constitutional engine for reform. They did not give us a static document; they gave us a living Constitution ? a framework that entrusts future generations with the responsibility to amend, repeal, and refine laws as India progresses.

Over the decades, however, our legislative system has developed serious structural imbalances. I have personally experienced this in many aspects of my life, where governments are very good at adding laws, adding rules, and adding conditions, but are very poor at removing or updating outdated ones. This unnecessary burden is faced by everyone ? from the common man to the poorest of the poor, and even by the highly wealthy.

Every new policy brings with it fresh compliance requirements, new penalties, and additional layers of regulation. Rarely do we pause to ask whether old provisions have outlived their relevance or whether they now contradict newer laws. The result is regulatory congestion, which burdens citizens, businesses, and Government officers alike, creating confusion and discretionary enforcement. We have seen how some bad actors misuse this discretion to harm the interests of citizens and even the nation. I am happy to note that the current NDA Government has taken concrete steps over the last decade to relieve citizens and businesses of this burden.

More than 40,000 unnecessary compliances have been abolished, easing procedural hurdles and reducing red tape. Over 1,500 outdated and redundant

laws have been repealed, clearing the statute book of colonial-era provisions and laws that no longer serve India's development.

I would like to point out a few things here. Some Members of the Opposition have said that we are changing laws within three years or four years. We must recognise that we are living in the era of artificial intelligence and quantum computing, where the world is changing rapidly, and we have to keep adapting.

One must also reflect on the approach we adopt: whether we wait endlessly for perfection or ensure that we are good enough to move forward, while continuing to amend and improve as we go along. If I had to choose between perfection and being good enough to move forward, I would always choose being good enough because we should not be trapped in policy paralysis.

This is important to highlight because during the UPA regime between 2004 and 2014, only a single repeal Bill was introduced, which repealed just two outdated laws. This starkly contrasts the approach of the current NDA Government with that of the earlier UPA regime, which largely neglected the task of revising and repealing obsolete laws.

Sir, I am an active Member of the Select Committee on the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 and I have been participating actively in rationalising penal provisions and simplifying compliance, with the objective of improving ease of living and ease of doing business. I hope that the same principle keeps continuing. I am happy to hear that our hon. Minister Shri Piyush Goyal has mentioned that Jan Vishwas 3.0 is already under way. I think this is the sign of a healthy democracy where we keep evolving and keep looking at our past.

While these reforms at the Centre have eased compliance and built trust, we need to do so at the State also where we have a lot of interaction with citizens. In our State, some regrettably damaging laws like the Land Titling Act or the Three Capitals Act that the earlier Government tried to push through, have caused a lot of pain and confusion in citizens' minds, damaging trust. As soon as the NDA Government came to power in Andhra Pradesh, we provided clarity and have repealed these laws which have gone against the interests of citizens. While these were in particular nefarious things, the overarching principle that repealing or revising the problematic laws that are creating conflict or laws that are outdated, is essential for bringing back transparency, trust, and predictability in governance. I look forward to aiding our State Government in continuing to do so.

The Repealing and Amending Bill, 2025 is not merely an exercise in removing obsolete statutes; it reaffirms our fundamental principle of good governance that laws which have outlived their purpose must be repealed with the same resolve with which progressive laws are enacted. This House bears the responsibility not only to legislate for the present, but to free future generations from needless regulatory bodies.

Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill and I wish that the Government continues to do this to ensure that there is maximum governance, minimum government, empowering our citizens for a trust-based and efficient society.

**SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR):** Hon. Chairperson, Sir, this is the Repealing and Amending Bil, 2025. Every year, we bring these types of Bills. There is not much confusion about the Repealing and Amending Bill. There are some good parts which are corrected. One of them is regarding Speed Post. Instead of Registered with AD, it will now be Speed Post with AD. It is good. It will be speedier. But I request one thing to hon. Law Minister. ? (*Interruptions*) Hon. Law Minister, kindly see. So far as the caveat is concerned, the part which you have amended is that it has to be served upon the defendants or whatever the party. But a caveat is filed through the lawyer. Therefore, if you can put ?the party and also the lawyer of the defendant?, that will help; otherwise, it will be useless. If you want speedy justice, then my suggestion is that you add ?the lawyer of the defendant? or whatever the party where it is made through the lawyer only. There is no problem on that.

Sir, the problem is somewhere else. Now, we are amending the Act, we are bringing more and more Acts; but is speedy justice being delivered? Where are we stuck? I just give you one small example. When in the Supreme Court, filing of new cases was 40,000, the strength of the Supreme Court judges was increased to 34. In 2024, filing was more than 60,000. In 2025, till two days ago, filing was 70,000, but the strength of judges has not been increased. Computers and all that will not decide the fate of a case. A real judicial reform by increasing the strength of the judges is required. Unless it is done, nothing will be done in this country. So far as justice part is concerned, I am saying about it. We need more judges. If you go to the Registry of the Supreme Court, you will see that after registration of a case, it takes at least eight to ten days to remove the defects, etc. People are also not there. A similar situation is in the High Courts and district courts also. These

computers etc. are all additional. We need original men to decide and they are the judges. The strength of the judges needs to be increased. Virtual courts etc. means we are just side-tracking the problem itself. Unless the judges are there, who will decide? Although it may not relieve much, I now understand, but as the hon. Law Minister is here, to whom can I make a request. He can reject my request also. There is no problem.

He is smiling and he will reject my request. But this is not the request from myself. I am almost at the end of my life. Please do it for the future of this country.

Sir, one thing is very clear which I have understood in my own way. हम फिर से बंगाल ले लेंगे । आप इसकी चिंता मत कीजिए । वहां हम आपको ऐसे फेकेंगे कि आप बिहार छोड़ कर यूपी चले जाएंगे । आप मेरी बात सुनिए । ? (व्यवधान)

This is the thing; I am telling you. I am saying that I am not against any Government. I am not saying any red Government, white Government or saffron Government, but this is the position of this country. People are having last faith in the Judiciary. People get the justice. We are talking about the women empowerment; we are talking about women torture; and we are talking about POCSO. Where are the judges? It is not my State; it is not your State; it is not your State, Rajasthan. It is the whole of India. Kindly think over it.

आप हर बार आते हैं और कुछ न कुछ बोलते हैं । आप अपने विषय को ठीक कर लीजिए । मैं अपनी बात कह रहा हूँ । यह आपको अच्छा नहीं लगेगा । हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह ठीक है । हम आपको कभी भी ईल एडवाइज नहीं देंगे । थैंक यू सर ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक 2025 पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा 120 पुराने और अप्रसांगिक कानूनों को समाप्त कर कानूनी ढांचे को साफ और प्रभावी बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है । मैं इसका स्वागत करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ ।

सभापति महोदय, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । आज समय के अनुसार कानूनों में बदलाव और संशोधन हो रहा है । इसी प्रावधान के तहत माननीय मंत्री जी पुराने और अप्रचलित हो चुके कानूनों को खत्म करने और उनमें वे संशोधन करने की बात कह रहे हैं । इससे कानूनों को सरल, स्पष्ट, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाया जा सकेगा । प्रशासन को बेहतर बनाया जाएगा उसमें पारदर्शिता होगी । इससे कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या स्पष्ट एवं सरल होगा । इससे आम जनता को भी लाभ मिलेगा । पुराने कानूनों से जो भ्रम पैदा होता है, उसे भी दूर किया जा सकेगा ।

सभापति महोदय, सरकार पुरानी कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है । उन्हें आधुनिक बनाने और प्रशासन को कुशल एवं गतिशील बनाने का काम सरकार कर रही है । इसके साथ ही संवैधानिक पदों पर

नैतिकता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने में सरकार को मदद मिलेगी । यह कदम स्वागत योग्य है ।

सभापति महोदय, पहले शेड्यूल में 71 कानूनों को निरस्त करना है, जिसकी अब जरूरत ही नहीं है । फिर दूसरे शेड्यूल में पोस्टल सर्विसेस में सुधार करने की बात हो रही है । आपदा कानून में हो रही परेशानियों को दूर करने की भी बात है ।

सभापति महोदय, कानूनों में ये सब सुधार आवश्यक हैं और यह आम नागरिकों के हित में है । देश का संविधान आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है । सरकार ने आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक कदम उठाया है ।

सभापति महोदय, मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सिद्धांततः कोई भी सभ्य लोकतंत्र अपने कानूनों को समय-समय पर परिष्कृत करता है, अप्रासंगिक कानूनों को हटाता है और विधिक अस्पष्टताओं को दूर करता है । कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करती, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हमने ही भारत के विधायी सुधारों की नींव रखी है । किंतु माननीय महोदय, मेरा प्रश्न इस बिल की मंशा नहीं, बल्कि उसकी सीमा, प्राथमिकता और ईमानदारी को लेकर है । क्या यह बिल वास्तव में कानूनी सुधार की दिशा में एक गंभीर प्रयास है या फिर यह सरकार द्वारा अपनी विधायी निष्क्रियता को छुपाने का एक औपचारिक अभ्यास मात्र है? आज देश महँगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, संघीय ढाँचे के क्षरण और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है और सरकार ऐसे समय में केवल तकनीकी सुधारों का ढोल पीट रही है । कानूनों को निरस्त करना तब सार्थक होता है, जब साथ ही नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने वाले नए कानून भी लाए जाएँ । दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि सरकार सुधार के नाम पर ऐसे कानून लाई, जिनसे असहमति को दबाया गया और राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया । इसलिए, इस बिल पर चर्चा करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन-सा कानून हटाया जा रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि कौन-से अन्यायपूर्ण कानून आज भी जीवित हैं, जिन्हें हटाने का साहस सरकार नहीं दिखा रही है ।

माननीय सभापति महोदय, यह सदन जानना चाहता है कि निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 की परंपरा नई नहीं है । पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी ऐसे अनेक विधेयक लाए गए, जिनका उद्देश्य कानूनों की स्वच्छता और प्रशासनिक स्पष्टता था, किंतु उस समय यह प्रक्रिया एक व्यापक विधायी सुधार एजेंडे का हिस्सा हुआ करती थी । आज स्थिति यह है कि सरकार केवल उन कानूनों को हटाने में रुचि दिखा रही है, जो पहले ही निष्प्रभावी हो चुके हैं, जबकि वे कानून जो नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हैं, उन्हें बनाए रखा गया है । उदाहरण के तौर पर, देश में औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित कई दमनकारी प्रावधान आज भी लागू हैं, जिनका उपयोग पत्रकारों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जाता है । जैसे राजस्थान राज्य, जहाँ लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक न्याय की लंबी परंपरा रही है, वहाँ के लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या कानून केवल शासन की सुविधा के लिए हैं या जनता के संरक्षण के लिए भी है? इस बिल में जिन कानूनों को निरस्त किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं । ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने अब तक कितने ऐसे कानूनों की समीक्षा की है, जो आज की संवैधानिक आत्मा के अनुरूप नहीं हैं । क्या सरकार संघवाद को मजबूत करने वाले कानून लाएगी? क्या वह राज्यों को उनके

अधिकार लौटाने के लिए तैयार है? इन प्रश्नों के उत्तर इस बिल के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक इन पर स्पष्टता नहीं आती है, तब तक इस विधेयक को केवल एक औपचारिक अभ्यास माना जाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की धरती से आने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कानून का प्रभाव केवल दिल्ली के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह गाँव, ढाणी और गरीब कस्बों तक जाना चाहिए । जब कोई कानून अस्पष्ट होता है, तो उसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव ग्रामीण गरीब, मजदूर और आदिवासी समुदायों पर पड़ता है ।

### **15.00 hrs**

सरकार यह दावा करती है कि यह बिल ?ईज ऑफ गवर्नेंस? को बढ़ावा देगा, किन्तु हमें पूछना चाहिए कि क्या इससे ?ईज ऑफ लिविंग? भी बढ़ेगी? क्या ऐसे में किसानों को समय पर न्याय मिलेगा? क्या इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग आज भी भूमि, पानी और आजीविका से जुड़े कानूनी विवादों में वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रहती है और न्याय का इंतजार करते-करते उनकी जिंदगी निकल जाती है ।

ऐसे में सरकार को नए और सरल कानून बनाने चाहिए, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिले और अदालतों में लंबित मुकदमों का निस्तारण सही समय पर हो । उनको समय रहते न्याय मिलना चाहिए । नए जजों की भी भर्ती की जानी चाहिए और प्रत्येक न्यायाधीश के ऊपर मुकदमों की संख्या तय होनी चाहिए । ऐसे कानून लाए जाएं, जिनसे न्याय मिलने की समय सीमा तय हो कि जिला न्यायालय में इतने समय में न्याय मिल जाएगा, उच्च न्यायालय में इतने समय में और सर्वोच्च न्यायालय में इतने समय में न्याय मिल जाएगा । अगर ऐसे कानून इस सदन से पास होते हैं तो वास्तव में गांव के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा ।

सभापति महोदय, मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी । मैं इस सदन का ध्यान एक तथ्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ । पिछले कुछ वर्षों में कानून बनाने की प्रक्रिया में संसदीय समितियों की भूमिका को लगातार कमजोर किया गया है । कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के सीमित समीक्षा से पारित किया गया है ।

माननीय सभापति : आप प्लीज कनक्लूड कीजिए ।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । इसके विपरीत सरकार वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखती है तो हर कानून, चाहे वह तकनीकी हो, नीतिगत हो या व्यापक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करता हो, वह चर्चा से ही पास होना चाहिए । चूँकि राजस्थान की जनता ने हमें यहां पर इसलिए भेजा है, क्योंकि हम केवल सरकारी बात पर मोहर न लगाएं, बल्कि सवाल पूछें, सुझाव दें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें । कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि भविष्य में ऐसे विधेयकों के साथ विस्तृत श्वेत पत्र प्रस्तुत किए जाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से कानून क्यों हटाए जा रहे हैं और उनका दुष्परिणाम क्या है? उनका आर्थिक व सामाजिक प्रभाव क्या रहेगा? बिना पारदर्शिता के विधायी सुधार केवल कागजी सुधार बनकर रह जाएंगे ।

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय कानून और न्याय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल साहब द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

-

**15.03 hrs** (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

यहां सदन में एक बात बार-बार कही जा रही है कि बिना प्रक्रिया-नियम के विधेयक पारित कराए जा रहे हैं। मैं मेरे सामने वाले प्रतिपक्षी माननीय सांसदों से निवेदन करता हूँ कि एक बार आप इंदिरा जी का कार्यकाल याद कर लें कि किस प्रकार से सन् 1975 से 1976 के बीच में केवल कानून नहीं, बल्कि संविधान तक में मौलिक परिवर्तन करके कानून की धज्जियां उड़ाई गई थीं। हमारी सरकार कानून में विश्वास करने वाली सरकार है। हमारी सरकार रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। मैं सदन में प्रस्तुत 'दी रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025' का समर्थन करता हूँ।

भारत में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रिय व गरीब हितैषी सरकार ने धारा 370, 35 ए, तीन तलाक, राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। इसी के साथ-साथ जीएसटी रिफॉर्म, यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी एवं इनकम टैक्स में उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। एनएफएसए के तहत 81 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन, पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ के लगभग इज्जत घर, प्रधान मंत्री आवास एवं उज्ज्वला योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव इस सरकार ने हमें प्रदान किया है।

सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीयों का आत्मगौरव बढ़ाया है और विश्व का भारत के प्रति दृष्टिकोण भी बदला है। चन्द्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की स्वर्णिम अभिव्यक्ति की है। लगातार तीसरी बार जन विश्वास हासिल कर प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में 'विकास भी, विरासत भी?' की भावना से कार्य किया है।

अभी लोक सभा चुनाव, 2024 के उपरांत दिल्ली और बिहार में प्रचण्ड विजय के साथ अब केरल के तिरुवनन्तपुरम में भी कमल खिल रहा है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता वर्तमान सरकार द्वारा भारत के जिम्मेदार नागरिक पर भरोसा करने की प्रक्रिया है।

इसी के अंतर्गत किसी भी विभाग की पत्रावली के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करने का प्रावधान कर आम जीवनी को राहत प्रदान की गयी है। समय एवं परिस्थिति और बदलते हुए सामाजिक संरचना के कारण अनेक कानूनों का कालबाह्य, ऑब्सलीट हो जाना स्वाभाविक है। प्रस्तावित 71 प्रावधानों, कानूनों और धाराओं का निरसन यानी 'रिपीलिंग' का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसी के साथ-साथ अधिनियमितियों में प्रस्तावित संशोधन का भी मैं समर्थन करता हूँ।

सरकार द्वारा इस विधेयक का लाने का उद्देश्य पुराने समय के किसी कंपनी, परियोजना से संबंधित उन अधिनियमों को निरस्त करना, पुराने ट्राम्बे और रेलवे कानून, जो अब आधुनिक कानूनों में बदल दिये गए हैं और व्यवहार में नहीं हैं, उनको निरस्त करना वर्तमान सरकार की मांग है। इस विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा भारत के विधायी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए चले प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

यह विधेयक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, धारा 213 एवं धारा 370 में मौजूदा भेद-भावपूर्ण प्रावधानों के निरसन का भी प्रस्ताव करता है। धारा 213 केवल हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन एवं पारसी समुदायों के लिए 'प्रोबेट' यानी कि न्यायालय की पुष्टि की अनिवार्यता बनाती है, जबकि अन्य समुदायों को इससे छूट देती है।

धारा 370 औपनिवेशिक काल की देन है तथा अब अप्रचलित और अनावश्यक हो चुकी है। हमारी सरकार ने वर्ष 2015, 2016, 2019 और वर्ष 2023 के निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1562 अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया है। समय के साथ-साथ अनेक कारणों से कानूनी दांव-पेच एवं शांतिर अपराधियों द्वारा कानून का दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है, जैसे नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आज उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सूदखोरों द्वारा गरीबों को मजबूरी में दिए गए लोन के एवज में किशतों के खाली चेकों एवं अन्य संपत्ति के दस्तावेज लेकर धारा 138 की आड़ में इतना शोषण किया जा रहा है कि सूदखोर माफिया के दवाब व आतंक के कारण गरीब आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है।

अतः समय-काल-परिस्थिति के अनुसार कानूनों में आवश्यक संशोधन एक नियमित और वांछनीय प्रक्रिया है। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की भावना से प्रस्तावित इस निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का मैं समर्थन करता हूँ और सदन से भी निवेदन करता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की पवित्र भावना से अभिप्रेत इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर हिन्दुस्तान के आम मतदाताओं के प्रति हम संवेदनशील और जबावदेह जनप्रतिनिधि हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करें।

माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प आज करोड़ों-करोड़ भारतीयों का संकल्प बन रहा है। हम सभी बाधाओं को पार कर आम जन का जीवन उत्कृष्ट बने, इस संकल्प के साथ एकमुखी होकर, इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत इस विधेयक संख्या 193/2025 का समर्थन करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम्। आपका पुनः धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदया, आपने हमें निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर बात रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, सरकार यह कह रही है कि जिन कानूनों को इस विधेयक से हटाया जा रहा है, वे पुराने, अप्रसांगिक और निष्प्रभावी हो चुके हैं।

महोदया, सरकार को सदन के माध्यम से देश को बताना चाहिए कि किस आधार पर आपने तय किया कि कौन सा कानून अप्रसांगिक और निष्प्रभावी है? क्या आपने विधेयक लाने से पहले राज्यों, न्यायपालिका और नागरिक और सामाजिक संगठनों से कोई सार्थक या औपचारिक परामर्श किया? मैं समझता हूँ कि सरकार को यह बताना चाहिए।

महोदया, देश ने पहले भी ऐसे अनुभव देखे हैं, जहां सरलीकरण या कानूनी सफाई के नाम पर कानून हटाए गए, लेकिन उनकी जगह कोई वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गयी। ऐसे मामलों में सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों, कर्मचारियों, किसानों और कमजोर वर्ग को उठाना पड़ता है।

महोदया, इन संशोधनों से वास्तव में क्या पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या आम नागरिकों के लिए न्याय सस्ता, सरल और सुलभ होगा या फिर उसे और जटिल प्रक्रियाओं से, लंबी प्रतीक्षाओं से और महंगी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा?

महोदया, लोकतंत्र का अर्थ केवल कानून पारित करना ही नहीं, कानून को समझना, जनता को समझाकर पारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कदम से नागरिकों के अधिकार कमजोर न पड़ें। मैं यह जरूर

कहूंगा कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है । यह अध्ययन से अपर्याप्त है । इसको अध्ययन के लिए किसी कमेटी में भेजकर पुनः सरकार इसको लाए । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा कदम होगा । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद ।

**SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon. Chairperson Madam, this Bill is aimed to repeal or amend more than 70 amendments. There is no second opinion on the fact that such obsolete acts are to be changed as per the changing times. These amendments are to be brought from making good as better and better as best. They should not rather bring amendments to make bad to worse and worse to worst. Our Hon Member Kalyan Banerjee talked about whatever is related to law department. Once a case is filed in the Judiciary, it may take at least one month for the case to come for hearing. After so many hearings, the judgment in that case may be pronounced after several years. This was clearly stated by Hon Member Shri Kalyan Banerjee. But our experience is totally opposite. Recently a case was filed in the Madurai Bench of Hon Madras High Court on 7<sup>th</sup> November 2025. This case was registered on 10 November 2025 and the judgement was pronounced on 1 December 2025. Within 20 days from the date of filing of a case, Judgement was pronounced. This issue is an old issue which was discussed by the Courts for centuries and Judgements were pronounced several times in the past as well. It is a curse that the mind-set of the Hon Judge is reflected through his Judgement. If the particular Judge has an opinion on this particular case, he should have transferred this case to a different Judge and kept himself out of controversy. I want to register in this august House that this much civilised nature was not visible in the Judiciary. Similarly, our Hon MP Shri Kalanidhi Veerasamy quoted something stated by a former Judge of Hon Supreme Court. The Judge said that this law-making Body, the Parliament is unable to take time and discuss in detail before enacting a particular law. And as a result of this, the Judiciary and Courts face difficulties while making interpretations. Within 3 minutes, 4 labour codes were passed in this House without any discussion. We have passed a legislation affecting the lives of several Crores of labourers who are part of our 140 Crore population. Earlier we got the feeling that the Judgements were pronounced as per the substantial arguments made in regard to the case. Now the Judgements are pronounced keeping in view the favours that they would be getting after retirement from the Post which they are holding. In such a fashion, Judgements are being pronounced as an entrance exam to the Post that would be occupied after the person's retirement. Friends I want to register here as a matter of concern.

I have been serving as Member of Parliament for the last 7 years. In all these 7 years I have seen that not even a single suggestion made by a MP from the Opposition has been included by the Government in the law. Not even a single suggestion or an amendment has been accepted by the ruling party. Your objective is to bring a legislation and you do not have any slight inclination to uphold the democratic nature of this House which legislates laws controlling 140 Crore people of this country. Therefore, I strongly oppose this amendment Bill.

Thank you for this opportunity. Vanakkam.

**SHRI BALYA MAMA SURESH GOPINATH MHATRE (BHIWANDI):** Honourable Chairperson Madam, I express my gratitude for giving me the opportunity to speak here today. Today, we are discussing the Repeal and Amendment Act, 2025. This act aims to repeal 71 outdated laws which includes 65 amended laws and 6 obsolete laws. Four laws are being amended: the General Clauses Act, the Code of Civil Procedure, the Indian Succession Act, and the Disaster Management Act. Since 2014, the Modi government has repealed or amended many old laws.

I will give you some examples where changes in the law are necessary but are not happening. There is the issue of renaming our new Navi Mumbai airport; the Maharashtra state government, through a unanimous resolution in the Legislative Assembly and Legislative Council, proposed that it should be named after the late D.Y. Patil; but this proposal is pending for 3 years. Therefore, there should be a law that ensures no oversight on such pending matters.

In our area, some private companies supply electricity, and due to privatization, many difficulties are arising. Therefore, there should be some law regarding this matter. Local people should be given priority in jobs and businesses in the state they reside in, and it is necessary to enact laws for this purpose. This should include the railway department, the revenue department, and other departments. There are many issues where it is necessary to give confidence to the people.

We form governments for the welfare of the people, but when making laws, we do not take them into confidence. Therefore, the government should pay attention to the needs of the local people through legal means.

On the Mumbai-Thane road, begging women and children are seen at traffic signals. Whether it is summer, monsoon, or winter, these children are seen naked. Police vehicles and government vehicles pass by, but no one pays attention. The

issue of child abduction is serious across the country, and the government should pay attention to it.

Honourable Chairperson Madam, I support any appropriate changes that need to be made according to the time and changing circumstances. Thank you, for giving me the opportunity to speak.

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, आपने निरसन और संशोधन विधेयक पर, मेरी पार्टी की तरफ से मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदया, यह विधेयक वास्तव में ?न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन? के हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । मैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि कई सारे ऐसे कानून थे, जिन्हें हटाकर वह अच्छे कानून लाए ।

माननीय सभापति महोदया, भारत की कानून व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । यह अच्छी और स्वागतयोग्य बात है । यह विधेयक 71 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का उद्देश्य रखता है । ये वे कानून हैं, जो अब भारत की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक या आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं । विधायी विभाग ने इन कानूनों को अनावश्यक और उद्देश्यहीन पाया है, क्योंकि वे पहले ही संबंधित मुख्य अधिनियमों में समाहित किए जा चुके हैं ।

सभापति महोदया, अप्रचलित कानूनों को हटाना, विधि पुस्तिकाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना एक आवश्यक विधायी प्रक्रिया है । एनडीए की सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से लगातार सुधार किये हैं । वर्ष 2015, 2016, 2017, 2019 और 2023 के निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1562 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जा चुका है ।

सभापति महोदया, यह विधेयक राष्ट्र प्रथम की उस भावना को दर्शाता है, जिसके लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी ने हमें हमेशा प्रेरित किया है । कानूनी व्यवस्था को सरल और मजबूत बनाना और अप्रचलित बोज़ को हटाना यही सच्चा राष्ट्रहित है । वंदनीय बालासाहेब ठाकरे जी ने शिवसेना को मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ खड़ा किया है और हमारी पार्टी हमेशा ऐसी नीतियों की समर्थक रही है, जो सरकारी कामकाज को पारदर्शी और प्रभावी बनाती हैं । यह विधेयक उन पुराने कानूनों को हटाकर इसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है ।

महोदया, यह विधेयक सिर्फ निरसन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी प्रस्तावित करता है । यह विधेयक धारा 213 को हटाने का प्रस्ताव करता है, जो भेदभावपूर्ण है । यह केवल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदायों की वसीयतों के लिए प्रोबेट (न्यायालय की पुष्टि) को अनिवार्य बनाता है, जिससे अनावश्यक प्रक्रिया संबंधी बोज़ पैदा होता है । औपनिवेशिक काल की देन धारा 370 को भी हटाया जा रहा है । अधिनियम की भाषा को व्यावहारिक सोच के अनुरूप बनाने के लिए रोकथाम शब्द के स्थान पर तैयारी शब्द रखने का प्रस्ताव है ।

सभापति महोदया, डाक सेवाओं के अनुरूप कानून अपडेट करना भी इस विधेयक की प्रमुख बात है । न्यायिक बोज़ को कम करने के लिए डाक विभाग के बदलावों के अनुसार सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 की धारा 27 और सिविल प्रक्रिया संहिता में रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह पंजीकरण सहित स्पीड पोस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव

है। इससे कानून का तालमेल वर्तमान डाक व्यवस्था के साथ बनेगा और अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप कम होगा।

महोदया, यह रिकार्ड में भी स्पष्ट है। यदि हम इतिहास देखें तो 1950 के दशक के बाद से दशकों तक चली पिछली सरकारों के दौरान केवल दस निरसन और संशोधन विधेयक अधिनियमित किए गए, जिनके माध्यम से मुश्किल से 1,291 अधिनियम निरस्त किए गए। इतने लंबे समय में यह बहुत धीमी प्रगति थी। वर्ष 2014 के बाद हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक स्पष्ट मिशन के तहत व्यापक समीक्षा के बाद 1,562 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया। यह तुलनात्मक आंकड़ा दिखाता है कि प्रशासनिक सुधार और कानूनी बोझ को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत और निर्णायक है, जो देश को एक सुव्यवस्थित कानूनी ढांचे की ओर ले जा रही है।

महोदया, यह विधेयक भारत की कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के एनडीए सरकार की निरंतर मिशन की एक कड़ी है। यह न केवल अनावश्यक कानूनी बोझ को कम करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाने में मदद करता है।

मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि इस दूरदर्शी और अत्यन्त आवश्यक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, मैं निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का विरोध करता हूँ। मैं मानता हूँ कि 120 कानूनों में बदलाव करके लोगों के अधिकारों को सीमित किया जाएगा। त्वरित न्याय के नाम पर ये परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके जरिए पूरे देश को पुलिसराज में तब्दील करने का एक षडयन्त्र चल रहा है। कानून ही गलत है, यह उक्ति सही नहीं है। दरअसल इन कानूनों के जरिए ये अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। जो सामाजिक, राजनीतिक कानूनी अधिकार हैं, उन्हें ये अपने हाथों तक सीमित करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार ऐसा कोई विधेयक लाए जिससे देश में भयानक ढंग से जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर रोक लगे। लोगों को दोनों टाइम भरपेट खाना मिले। हर किसी के घर में चूल्हा जले। इसके लिए कोई विधेयक लाया जाना चाहिए। ऐसा कोई विधेयक इनके पास नहीं है। ये ऐसे ही विधेयक के पक्ष में हैं, जिससे आम जनता का हक, अधिकार कमजोर हो और नौकरशाही हर क्षेत्र में बढ़े।

मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इसे जल्दबाजी में पास न कराएं, बल्कि इस पर राय-मशविरा भी करें। सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि बाहर भी तमाम पार्टीज़ की इस पर बैठक में चर्चा हो। इसे करने के बजाय आनन-फानन में, बहुमत के घमंड में ये हर चीज को अपने हाथों में केन्द्रित करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

**SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM):** Hon Chairperson Madam, Vanakkam. Thank you for this opportunity. The laws that are proposed in this Repealing and Amending Bill 2025 consists of mainly the laws relating to the labour welfare,

finance and banking, Universities and educational institutions. It therefore becomes inappropriate to discuss about all laws in one particular amendment Bill. I urge that there is a need for these laws even today. Therefore, there should be separate discussion on each of these laws. Recently the Union Government has changed the names of all the Criminal Laws that were in force as BNS, BNSS and BSA. These have names in Hindi and Sanskrit.

There are agitations held against this act of the Government. Bharatiya Nyaya Sanhita (Indian Justice Code); Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Indian Citizen Safety Code) and Bharatiya Sakshya Adhinyam (Indian Evidence Act) are the three Criminal Acts passed in Parliament recently and assented to by Hon President of India. Ten Trade Unions have announced in one voice that nation-wide agitations are being held against the Four Labour Codes which were formed by abolishing 44 labour related Acts of the country. In order to make changes to the Labour laws of the country, during the year 2020, Four Labour Codes were enacted. The trade Unions have strongly opposed these Codes. And nation-wide strikes and agitations were held in this regard.

Particularly, in section 148A, in sub-section 2, words "Registered post, acknowledgement due" shall be substituted by "Speed post with registration and proof of delivery". In the Disaster Management Act of 2005, in Section 30 and Sub-section 2 and in Clause 6, "Prevention" shall be substituted by the word "Preparation". I urge that these amendments are not to be made in a hurry. Rather they should be discussed in detail before going for amendments.

Thank you for this opportunity. Vanakkam.

**ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR):** Thank you, hon. Chairperson Madam, for giving me this opportunity. I rise today to participate in the discussion on the Repealing and Amending Bill, 2025. On the face of it, the Bill appears technical, procedural and even harmless, but the Parliament is not a clerical office, and legislation is not a routine housekeeping exercise. Every repeal, every amendment, and every omission carries constitutional consequences, historical baggage and social impact. The House must therefore ask "and I do ask" why these laws are being repealed now, who benefits from these repeals, and whose rights may be invisibly diluted. The Bill is repealing certain central Acts, and amending the core procedural laws like the General Clauses Act, 1987; the Code of Civil Procedure, 1908; the Indian Succession Act, 1925; and the Disaster Management Act, 2005. But history teaches us that the procedural changes often

affect substantive rights, especially of the poor, tribals, women and the litigants who have limited access to justice.

Madam, there are important Supreme Court judgments that I want to narrate over here. The Supreme Court, in the case of Mohar Singh, held that the effect of repeal on accrued rights must be examined carefully; repeal does not automatically erase past rights unless explicitly stated. Similarly, in Kolhapur Cane Sugar Works Limited, the hon. Court had warned that savings clause cannot be mechanical and must be interpreted in favour of vested rights.

Madam, the Bill seeks to amend the CPC. It replaces 'registered post' with 'speed post with registration and proof of delivery'. The Supreme Court, in the case of Salem Advocate Bar Association had held that procedural law must serve justice, not obstruct it. The speed post infrastructure is uneven, especially in my tribal constituency Nandurbar, which is an aspirational district. Also, proof of delivery failures will result in *ex-parte* decrees, especially against the poor. Not just that, it may lead to improper delivery of summons or notices that may cause harm.

There is an omission of Section 213 of the Indian Succession Act. The Supreme Court in Clarence Pais *versus* Union of India upheld the differential probate requirement, but observed that the legislature may revisit the colonial distinction if social conditions so demand. I want to ask the hon. Minister whether they are saying that the probate is not compulsory. I think this amounts to an appeasement politics on the basis of religion, which is being removed, and it is going to affect the family and the personal laws of all religions. I would urge the hon. Minister to kindly clarify this matter.

With respect to the Disaster Management Act, replacing 'prevention' with 'preparation' in Section 30 of the Disaster Management Act is not merely a cosmetic change. The Supreme Court in COVID-19 related judgement stressed that the State's duty is proactive prevention, not reactive preparation. Is the Government diluting its responsibility by shifting from preventive governance to post-disaster management?

I just want to ask one final question to the hon. Minister. For example, if you are bringing in the Repealing and Amending Bill, what about the Forest (Conservation) Amendment Act, जिसमें ग्राम सभा का अधिकार था, वह छीन लिया गया? You are taking away the powers and duties of a constitutional body and reducing it to a ceremonial body. जो

फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट एक्ट था, जो ग्राम सभा को अधिकार देता था, अगर आपने वह छीन लिया, तो आप उसका अमेंडमेंट कब लाएँगे? उससे आदिवासी लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ।

This Government repeatedly claims minimum Government, ease of doing business, legal simplification. But in reality, we witness maximum executive control, reduced parliamentary scrutiny and delegated legislation replacing debate. I urge the Government to refer this Bill to the Standing Committee on Law and Justice, table a rights impact statement for repealed laws, ensure explicit protection of pending cases, conduct district level feasibility studies on CPC amendments, clarify the safeguards following the omission of section 213 of the Indian Succession Act and reaffirm preventive responsibility under disaster management law.

Finally, I want to say that repealing a law is very easy, correcting historical injustice is hard, and protecting constitutional values is the hardest. Therefore, simplification must not become silent dilution, and efficiency must not replace equity. Governance must never override justice. That is all I want to say. Long live the Constitution.

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 का दृढ़ता से समर्थन करता हूँ । यह विधेयक स्वच्छ शासन, विधिक स्पष्टता और प्रशासनिक क्षमता के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इस विधेयक का मूल उद्देश्य हमारे विधिक ग्रंथों में समय की माँग के अनुसार संशोधन करना है । दशकों के दौरान अनेक ऐसे कानून हो गए हैं, जो या तो अप्रासंगिक हो चुके हैं या अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं या अब अनावश्यक हो गए हैं । ऐसे कानूनों को बनाए रखना, केवल भ्रम, कानूनी अव्यवस्था और अनावश्यक मुकदमेबाजी को जन्म देना है । यह विधेयक ऐसे ही कानूनों को क्रमबद्ध रूप से निरस्त करता है और कुछ अन्य कानूनों में आवश्यक लेकिन सीमित संशोधन करता है ।

माननीय सभापति महोदया, अनावश्यक और पुराने कानून नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी विभागों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं । इन अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर यह विधेयक कानूनी ढाँचे को सरल बनाता है और विधिक निजता को बढ़ाता है । इससे आम नागरिकों के लिए सुगम जीवन और उद्यमियों व निवेशकों के लिए सुगम व्यापार को सीधा लाभ मिलता है । भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सरल और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है और यह विधेयक उस दिशा में एक निर्णायक कदम है । इस विधेयक की प्रथम अनुसूची में औपनिवेशिक काल तथा स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों से जुड़े अनेक अधिनियमों को निरस्त किया गया है, जिनकी आज कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं रह गई है । फिर भी ये कानून बीते दशकों से बने हुए थे । इन्हें विधायी प्रबलता और वर्तमान अवस्थाओं के अनुरूप शासन संरचनाओं की आधुनिकीकरण की सरकार की इच्छा-शक्ति को दर्शाता है । इस विधेयक की अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यापक सेविंग क्लॉज है । यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करता है कि इन कानूनों के निरसन से पहले से अर्जित किसी भी अधिकार, दायित्व, उत्तरदायित्व, दंड या लंबित कार्रवाइयों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इससे विधिक निर्भरता सुरक्षित रहती है और नागरिकों को किसी भी अनपेक्षित परिणाम से संरक्षण मिलता है । यह सरकार के संतुलित दृष्टिकोण, बिना व्यवधान के सुधार और बिना कानूनी अनिश्चितता के आधुनिकीकरण को दर्शाता है ।

माननीय सभापति महोदया, यह विधेयक जनरल क्लॉज एक्ट और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी संशोधन करता है ताकि डाक सेवाओं में हुए तकनीकी और प्राशासनिक परिवर्तनों को कानून में समाहित किया जा सके। पंजीकृत डाक को इस फीस पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन और प्रूफ ऑफ डिलीवरी में समाहित किए जाने के बाद कानून का भी उसी अनुरूप होना आवश्यक है। यह संशोधन नोटिसों और अदालती प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी विश्वसनीय और विधिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे विलंब कम होता है और न्याय तक पहुंच सुदृढ़ होती है। इस विधेयक का एक अत्यंत प्रगतिशील पहलू इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में किया गया संशोधन है। धारा 213 को हटाने से एक ऐसे प्रावधान को समाप्त किया गया है जो औपनिवेशिक सोच पर आधारित था और कुछ संविधानों पर असमान प्रोबेट अवस्थाओं को थोपता था। यह सुधार कानून के सक्षम समानता, एकरूपता और उत्तराधिकार के मामलों में न्याय को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित करता है।

माननीय सभापति महोदया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 में 'प्रिवेंशन' के स्थान पर 'प्रिपरेशन' शब्द का उपयोग एक छोटा, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है। आपदा प्रबंधन का वास्तविक उद्देश्य तैयारी लचीलापन और त्वरित प्रक्रिया से होता है। यह संशोधन अस्पष्टता को दूर करता है और कानून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आपदा प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है। इससे जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी की प्रभावशीलता और संस्थागत स्पष्टता दोनों सुदृढ़ होती है।

माननीय सभापति महोदया, समय-समय पर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल लाना एक अनुशासित और जिम्मेदार विधायिका का प्रतीक है। यह सरकार निरंतर ऐसे प्रयास कर रही है ताकि भारत की कानूनी प्रणाली अतीत के बोझ से मुक्त हो सके। विधिक पुस्तकों में समय की मांग के अनुसार संशोधन पारदर्शिता को बढ़ाता है। इससे दुरुपयोग की संभावना कम होती है और कानूनी नागरिकों, अधिवक्ताओं प्रशासकों और न्यायालयों के लिए अधिक सुलभ बनते हैं। यह विधेयक डिजिटल शासन और प्राशासनिक आधुनिकीकरण की सरकार की व्यापक पहल के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

माननीय सभापति महोदया, यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि हमारे कानून आज की वास्तविक प्राशासनिक कार्यप्रणाली को प्रतिबंधित करें। ये व्यावहारिक और सुधार-प्रधान दृष्टिकोण भाजपा के शासन मॉडल के विशिष्ट पहचान हैं।

माननीय सभापति महोदया, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता, दक्षता, समानता और सुशासन के प्रति सरकार की मंशा का सशक्त वक्तव्य है। मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूँ और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र-हित में इस आवश्यक विधेयी-स्वीकार का समर्थन करें। यह विधेयक हमारी कानूनी प्रणाली को और सुदृढ़ करता है तथा हमें एक आधुनिक कुशल और नागरिक अनुकूल भारत के और निकट ले आता है।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI):** Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on the Repealing and Amending Bill, 2025, which seeks to repeal outdated enactments and correct formal defects in existing laws. If I quote a few positives in this Bill, they are as follows.

Clause 2 read with the First Schedule repeals obsolete enactments, ranging from the Indian Tramways Act, 1886 to several Amendment Acts passed between 2016 and 2023 that have already served their purpose. This exercise reduces legal clutter and improves statutory readability for citizens, businesses, and courts. Clause 4, the Savings Clause, is a critical safeguard. It protects accrued rights, liabilities, past actions, and pending proceedings, thereby ensuring legal continuity and constitutional certainty under Articles 21 and 300A. Under the Second Schedule ? General Clauses Act, 1897, Section 27, replacing ?registered post? with ?speed post with registration? aligns statutory language with modern postal systems and reduces procedural delays. Similarly, amendments to the Code of Civil Procedure, 1908, modernising service of summons through proof-of-delivery mechanisms, will improve dispute resolution timelines ? an essential factor for ease of doing business, trade certainty, and cross-border commerce.

While the intent of the Bill is positive, certain concerns merit attention. First, Clause 2 provides for a blanket repeal of multiple Amendment Acts without a consolidated restatement, which may create interpretational challenges for courts, lawyers, and administrators. Second, under the Second Schedule, procedural amendments are introduced without clear transition guidelines or capacity-building measures for subordinate courts and district administrations. Without such support, the benefits of these reforms may not fully reach the ground.

I would like to seek some clarifications from the Government. First, Clause 2 read with the First Schedule: How will ambiguity be avoided in on-going litigation that relies on provisions contained in repealed Amendment Acts? Second, Clause 3 read with the Second Schedule (Code of Civil Procedure, 1908): What steps will be taken to ensure uniform adoption of ?proof of delivery? standards across all States? Third, Second Schedule ? Indian Succession Act, 1925: Will uniform probate rules be notified to prevent divergent practices among High Courts?

Madam, I support this Bill. Thank you.

श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदया, मैं आज सदन में इस विधेयक पर हो रही चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं कई पुराने और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव करता हूँ । इस विधेयक में सन् 1886 के भारतीय ट्रामवे एक्ट से लेकर वर्ष 2023 के विभिन्न संशोधन अधिनियम शामिल हैं । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय रखना चाहता हूँ, ताकि हमारा कानूनी ढांचा अधिक मजबूत तथा प्रासंगिक बने ।

महोदया, बदलाव प्रकृति का सामान्य स्वभाव है, इसलिए हमें भी आवश्यक बदलाव के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यदि हम इस स्वाभाविक प्रक्रिया से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तो पिछड़ने का खतरा बना रहता है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान रचयिताओं ने बहुत सोच-समझकर व हर पहलू पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद एक-एक कानून बनाया था, जो उस समय की मांग के अनुसार अत्यंत प्रासंगिक और योग्य थे, किंतु दशकों बाद और आज के समय के मांग के अनुसार सुधार की आवश्यकता पड़ती है, जो करना अत्यंत जरूरी भी है।

यह सराहनीय है कि सरकार पुराने कानूनों को साफ करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए सन् 1886 का जो भारतीय ट्रामवे एक्ट था, अब वह आप्रासंगिक हो चुका है। सन् 1976 का लेवी शुगर प्राइस इक्वालाइजेशन फंड एक्ट था, जो चीनी उद्योग के पुराने संदर्भों से जुड़ा है। ऐसे कानून को निरस्त करने से हमारी विधि पुस्तक सरल होगी और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलताएं कम होंगी।

इसी प्रकार से वर्ष 2023 का माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट या ऑफशोर एरियाज़ मिनरल (डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट जैसे संशोधनों को निरस्त करना है। यदि वे अब मुख्य अधिनियम में शामिल हो चुके हैं, तो एक अच्छा कदम है। इससे कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी।

महोदया, हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण प्रावधान गलती से निरस्त न हो जाए। जैसे कि वर्ष 2021 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट एक्ट है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़ा हुआ है या वर्ष 2022 का एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। दमन और द्वीप जैसे तटीय क्षेत्रों में जहां जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों का मुद्दा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 के ?दि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी (अमेंडमेंट) एक्ट? या ?ऑफशोर मिनरल एक्ट? जैसे कानूनों का निरस्त होना स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। ? (व्यवधान) मछुआरों और पर्यटन उद्योग की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि खासकर संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे निरस्तीकरण से पहले स्थानीय हितधारकों से परामर्श किया जाए। इसके अलावा कई संविधान संशोधन जैसे, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स के अमेंडमेंट को निरस्त करना मेरे लिए चिन्ता का विषय है। यदि अब ये मुख्य संविधान में विलय हो चुके हैं, तो ठीक है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के अधिकार प्रभावित न हों। हमारा प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव आदिवासी बहुल है, जिनकी आवाज को मजबूत करना अत्यंत जरूरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा यह निर्धारित करने के लिए अपनाए गए रिडंडेंसी टेस्ट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके आधार पर प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों को अप्रचलित माना जा रहा है। आयोग को यह भी सुनिश्चित करना है कि निरसन का प्रभाव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर प्रतिकूल रूप से न पड़े, ताकि नियमों, अधिसूचनाओं और प्रासंगिक कार्यवाहियों का अनजाने में निरस्तीकरण न हो। चूंकि इन अनेक कानूनों को निरस्त करने का जो प्रस्ताव है, वह राज्यों से संबंधित है। इसलिए केन्द्र सरकार को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के संदर्भ में एक विस्तृत और स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

महोदया, अंततः यह विधेयक कानूनी सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन यह सुझाव भी देता हूं कि भविष्य में ऐसे विधेयकों में प्रत्येक निरस्त कानून के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण शामिल किया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा। धन्यवाद।

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । सरकार ने सोच-समझकर ही इन कानूनों को डिलीट करने का फैसला किया होगा । मैं 140 करोड़ देशवासियों के नाम चंद लाइनें अर्ज करना चाहूंगा :

?140 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों

सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है,

बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताज़ीरें

पांवों में गुलामी की आज ये हैं जंजीरें,

आज हरफ़-ए-आखिर है, बात चंद लोगों की

दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की,

उठकर दर्दमंदों के, सुबह-ओ-शाम बदलो भी

जिसमें तुम नहीं शामिल, वह निज़ाम बदलो भी !?

मैं आपसे यह गुज़ारिश करना चाहूंगा कि आर्टिकल 21 जहां सबको फ्रीडम देता है, वहां यह बात भी जरूरी है कि देश की सिव्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए । मैं यूएपीए की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है । खासतौर से, जो यहां पर रोज ईडी, सीबीआई के खिलाफ धरने देते हैं, यूएपीए आप लोग लाये हैं, लेकिन आज आप खामोश हैं । मुसलमानों के ठेकेदार तो बने हैं, लेकिन यूएपीए में सबसे ज्यादा माइनोंरिटी के लोग पीसे जा रहे हैं । मेरी सरकार से इतनी गुज़ारिश है कि खासतौर से जो सेक्शन 43 डी है, ?Every innocent has to prove that he is not guilty?. How can he himself prove that he is not guilty, जब ट्रायल या कुछ भी नहीं होगा? इसलिए यह बिल्कुल जरूरी है कि आप देश की सिव्योरिटी का ख्याल रखें, लेकिन एक टेररिस्ट और एक आम शहरी के बीच में फर्क करना बहुत ही जरूरी है । जज साहिबान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं । सैकड़ों, बल्कि हजारों लोग यूएपीए की वजह से जेलों में बंद हैं । मेरी इस हाउस से यह गुज़ारिश है, क्योंकि सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं । कहा जाता है कि ?मोदी है, तो मुमकिन है?, आज यह करके दिखाइए । हम कहेंगे कि ?सबका साथ, सबका विकास? । कम से कम सेक्शन 43 डी हटाकर आप इंसानियत का सबूत दे दीजिए । इसी तरह आप कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान है और एक कानून है, तो फिर वहां पीएसए क्यों है? वहां से पीएसए की तलवार खत्म कीजिए । That is absolutely extra-constitutional.

मैं आखिर में आपसे फिर यही गुज़ारिश करूंगा कि मेहरबानी करके जहां ईडी, सीबीआई की बात है और यूएपीए पर हर हाल में एनडीए सरकार से, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि आप भी बीजेपी के दोस्तों से यह कह दें । एक तरह हम यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट की बात करते हैं, वह अच्छी बात है । ? (व्यवधान) उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे कवानीन हों, खासतौर से जो इंसानी हुकूक के मुतलिफ हों, वहां वे बैनल अकवामी मैयार पर पूरे उतरें । मैं उम्मीद रखूंगा कि सरकार यूएपीए में बहुत जल्द बदलाव लाएगी, ताकि वे सैकड़ो लोग जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, कम से कम वे भी अपने घरों का दीदार कर सकें । उनकी सीताएं भी अपने रामों का इंतजार कर रही हैं । राम जी तो वनवास के बाद घर आ गए,

लेकिन उनकी सीताओं का क्या जिनके परिजन 10-10 या 15-15 सालों से सिर्फ यूएपीए की नंगी तलवार की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कुछ मुद्दों पर कानून या नाम बदलने से देश और आम आदमी के अधिकार के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी बात इंडिगो से शुरू करता हूँ। इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि पूरा देश गुलामी की ओर चला गया। सारी फ्लाइट्स बंद हो गईं, हम सब लोग कैद हो गए और कल भी कोई फ्लाइट नहीं उड़ी। लगातार साजिश हो रही है। जो पूंजीपति देश से भाग जाते हैं, देश से पैसा लूटकर चले जाते हैं तथा जो पूंजीपति देश में रह रहे हैं और जो इस देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे वह इंडिगो का मालिक हो, उन पर जुर्माने के लिए क्या कार्रवाई होती है? उनके लिए कोई कानून नहीं है।

जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेग्युलेट करता है। हमारे यहां वन नेशन, वन हैल्थ? और वन नेशन, वन एजुकेशन? है। आप जर्मनी जाइए या अन्य किसी भी देश में जाइए, कहीं पर आपको प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हैल्थ सर्विसेज़ नहीं मिलेंगी, सरकार के द्वारा सब कुछ प्रायोजित है। लेकिन, भारत में पूरा का पूरा प्राइवेटाइज़ेशन अर्थात् निजीकरण किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में 60,500 स्कूल बंद हो गए, लगभग सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। टीचर्स सही क्वालिटीज़ के साथ भर्ती नहीं हो रहे हैं। आईआईएम खत्म कर रहे हैं, आईआईटी खत्म कर रहे हैं, निजीकरण करके प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। क्या इसके लिए कोई रेग्युलेट्री बॉडी बनेगी? क्या इस देश में किसी की अकाउंटबिलिटी तय होगी? कोई कानून अच्छा था या खराब था, यह तय कौन कर रहा है? यहां बैठे हुए वे अच्छे लोग कौन हैं, जो मिलकर यह सब तय कर रहे हैं कि कौन सा कानून खराब था और कौन सा कानून अच्छा होगा?

यह जो पूरा का पूरा संशोधन है, वह इनके फायदे के लिए है। पूंजीपति, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों के लिए कानून बनते हैं। अतः मेरा पॉइंट हैल्थ के बारे में है। डॉक्टर्स जिस तरीके से पूरा का पूरा चिट्ठा लिखते हैं और जब लोग जांच कराने जाते हैं, जब लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो मरे हुए लोगों को भी आईसीयू में भर्ती करके पैसा वसूला जाता है और मनमानी फीस लेते हैं। इसके लिए कोई जांच की प्रक्रिया नहीं है। इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है। प्राइवेट में जांच करने वाला जितना पैसा चाहे ले सकता है। क्या इनके लिए भी कोई कानून आप 71 कानूनों में व्यवस्थित करके बना रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स मनमानी न करें? डॉक्टर्स के लिए रेग्युलेट्री बॉडी बने, कोई उनको देखने वाला हो। क्या एमपी, विधायक या चुने हुए प्रतिनिधियों की भी इसमें कोई भागीदारी होगी? क्या आप पूरी की पूरी व्यवस्था सरकारी लोगों को ही दे देंगे? पूरी की पूरी व्यवस्था नौकरशाहों के हाथों में दे देंगे? ये नौकरशाह इस देश को गुलाम बना देंगे। नौकरशाह देश को चलाते हैं, हमारे नेता नहीं चलाते हैं, इसीलिए, उनकी अकाउंटबिलिटी तय होनी चाहिए।

भू-हदबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन, न किसी गरीब को जमीन मिलती है और न ही लागत मिलती है। उद्योगपतियों के लिए एक रुपए में हजार बीघा जमीन मिल जाती है, लेकिन, यदि गरीब को पांच डिस्मिल जमीन देने की बात होगी, तो उसको जमीन नहीं मिलती है। क्या इसके लिए कोई कठोर कानून लाया जाएगा? मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि देश में न्यायालयों में जज नहीं हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि केस पर केस लंबित हैं। चार्जशीट कौन देता है? जो लोग चार्जशीट लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, वे सरकार से प्रभावित होते हैं। क्या उनकी भी कोई अकाउंटबिलिटी तय होगी? गरीब आदमी जेल में रहता है और पैसे वाले सारे बड़े-बड़े लोग बाहर रहते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है।

जजों की भी कोई अकाउंटबिलिटी तय होगी या नहीं कि जज क्या करेंगे, जज किससे मिलेंगे, जज कैसे प्रभावित होंगे? कोर्ट में जज पार्टी बनकर बात करते हैं। जैसे हाई कोर्ट में कुछ जज हैं, जो पार्टी बनकर ओपन बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बात करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं होगा? मेरी अगली बात हाई कोर्ट्स के बारे में है। बिहार में एक हाई कोर्ट है। क्या पूर्णिया में कोई हाई कोर्ट बनेगा? क्या हमारे राज्य में कोई और हाई कोर्ट बनने की संभावना है, ताकि अधिक से अधिक कानूनों का निष्पादन हो? जो लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके पास बहुत कम पावर है। वे कैसेज़ में डरे हुए रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चीजों को बाहर कर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि हाई कोर्ट जाइए, मैं नहीं देखूंगा। अतः ऐसी चीजों के लिए क्या आप कोई कानून लाने की व्यवस्था करेंगे?

### **16.00 hrs**

तीसरी चीज, हमारे यहां शराब के मामले में गलत तरीके से, कोई कानून नहीं है लाखों लोगों को बंद कर दिया गया है। उस गरीब का क्या मतलब है? जो शराब बेचता है वह जेल में नहीं है। जो पदाधिकारी पैसा लेता है, वह जेल में नहीं है। इनके लिए क्या कानून है? अंत में, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक है कि जब आम आदमी को म्यूटेशन करवाना होता है तो वह सीओ, एडीएम, डीएसएलआर के पास जाता है।

मैडम, म्यूटेशन, जमाबंदी में लाखों करोड़ों रुपये लिए जाते हैं। पूर्णिया का एक सीओ जमाबंदी के लिए दो लाख, पांच लाख रूपया लेता है। मीडिल क्लास का एक गरीब आदमी अपनी जमाबंदी, म्यूटेशन नहीं करवा पाता है। दूसरी बात यह है कि बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है। आपने गरीब आदमी को कुछ दिया नहीं है। न ही पांच डिसमिल जमीन दी है। आपने शहर में किसी भी दुकानदार को दुकान नहीं दी, उन्हें टयवस्थित नहीं किये और उसके बावजूद सौंदर्यीकरण के नाम पर पूरे बाजार को तौड़ा जा रहा है। वाह रे वाह। सरकारी जमीन पर लगातार...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सरकारी जमीन माफिया लोग अपने नाम लिखवा रहे हैं, म्यूटेशन करवा रहे हैं। पूरा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या कानून है? अंत में आपसे मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जज को एक्सेसिबिलिटी में लाइए, अधिक से अधिक हाई कोर्ट बेंच का निर्माण कीजिए। यह मेरा आपसे आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदया, सरकार Repealing and Amending Bill, 2025 को एक छोटा और तकनीकी विधेयक बताकर पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विधेयक केवल कानून हटाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही हटाने का एक प्रयास चल रहा है। आज झटके में सिर्फ पुराना कहकर दर्जनों कानून खत्म कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या मजदूरों के अधिकार पुराने हो गए? क्या महिलाओं की सुरक्षा पुराने जमाने की बात हो गई? क्या कर्मचारियों का संरक्षण अब सरकार पर बोझ लगाने लगा है?

सभापति महोदया, भंडारा-गोंदिया और पूरे विदर्भ में किसान, मजदूर और छोटे कर्मचारी पहले से ही परेशान हैं। न नौकरी की सुरक्षा है, न समय पर न्याय है और अब धीरे-धीरे कानूनों का सहारा भी छीना जा रहा है।

### **16.02 hrs** (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

सभापति महोदय, हमारे यहां के किसानों को सपना दिखाया गया और उनसे जमीन ले ली गयी । भेल का प्रोजेक्ट, जहां पर सोलर प्लेट के लिए उद्योग आएंगे, 14 साल से हमारे किसान भाई वहां पर राह देख रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली । रोहना गांव का एक किसान भाई है, जिसने थर्मल प्लांट के लिए नौकरी की राह देखते-देखते बीस साल गुजर गए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली । किसान भाइयों के साथ अत्याचार, हर दिन की इस सरकार की कहानी हो गयी है । सिर्फ सपने बड़े-बड़े दिखाते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं । आज किसानों की जमीन गयी, उसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? यह किसान विरोधी सरकार है ।

माननीय सभापति महोदय, सरकार इंडियन सर्वेक्षण एक्ट की धारा 213 हटाने की बात कर रही है । यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि यह कानून भेदभावपूर्ण था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल तक इस अन्याय को जिंदा किसने रखा था? क्या सरकार बाकी औपनिवेशिक और जनविरोधी कानूनों को हटाने की भी हिम्मत दिखाएगी? अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं । रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह स्पीड पोस्ट लायी जा रही है । कागजों में यह सुधार है लेकिन भंडारा, गोंदिया, साकोली जैसे इलाकों में आज भी डाक देरी से पहुंचती है । सबूत गायब हो जाते हैं और गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, तो सवाल है कि क्या यह बदलाव न्याय को आसन बनाएगा या और दूर लेकर जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा मजाक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में किया गया है । प्रिवेंशनशिप को हटाकर प्रिपरेशन जोड़ दिया है । विदर्भ में हर साल सूखा पड़ता है, फसल बर्बाद होती है, किसान टूट जाता है । सरकार बताये कि यह कैसी तैयारी है? आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बोला है कि निरसन कानूनों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए । स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहर सिंह के केस में कहा गया कि निरसन का प्रभाव अर्जित अधिकारों पर अत्यंत सावधानी से परखा जाना चाहिए; जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए, निरसन में पूर्ववर्ती अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते ।

इसी प्रकार कोल्हापुर केनशुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2000 में न्यायालय में कहा गया कि बचाव उपबंध यांत्रिक नहीं हो सकते और उनकी व्याख्या अर्जित अधिकारों के पक्ष में की जानी चाहिए । यह विधेयक श्रम, बैंकिंग, मध्यस्थता, अल्पसंख्यक संरक्षण तथा संवैधानिक संशोधन अधिनियमों से संबंधित कानूनों को भी निरस्त करता है । संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लंबित अधिकार, अपील या उपाय मौन रूप से समाप्त न हो जाए ।? (व्यवधान) सर, मैं बस कनक्लूड कर रहा हूं ।

?कागजों में राहत की तस्वीर सुंदर लगती है,

पर खेत में खड़ा किसान आज भी खाली हाथ दिखता है ।?

महोदय, कानूनों की सफाई जरूरी है, लेकिन जनता के अधिकारों में कटौती मंजूर नहीं । यह सदन कानून मिटाने के लिए नहीं, बल्कि गरीब, किसान, मजदूर की आवाज बनने के लिए हो ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए ।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाए । निरस्त कानूनों पर अधिकार प्रभाव विवरण प्रस्तुत किया जाए । लंबित मामलों की स्पष्ट सुरक्षा सुनिश्चित की जाए । किसी भी संशोधन पर? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट जी ।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं अपने समय पर अपनी बात रखकर बैठ जाऊंगा, आप घंटी मत बजाइयेगा, क्योंकि मेरा दिल थोड़ा कमजोर है ।

सर, मैं द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य देश के लॉ को साफ करना, सरल करना, आधुनिक बनाना और सिटिजन फ्रेंडली बनाना है । यह बिल कोई नया लॉ बनाने के लिए नहीं है । इसका उद्देश्य पहले से मौजूद जो कानून हैं, उसको क्लीन, क्लियर, क्रेडिबल और व्यवस्थित करना है । जो कानून अब चलन में नहीं हैं या जिनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, ऐसे कानूनों को समाप्त करना है । ऐसे लॉ को बनाए रखने से कंप्यूजन तथा अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है । पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने निरंतर प्रयास किया, इससे पहले करीब 1562 और आज करीब 71 कानूनों को रिपील किया जा रहा है । इसके बाद कुल मिलाकर 1633 पुराने कानून इतिहास के पन्नों से सम्मानपूर्वक विदा ले रहे हैं ।

सर, अब मैं कुछ विषय दार्जिलिंग से रिलेटेड रखूंगा । Absorbed Areas Act 1954 ? यह कानून कांग्रेस के समय बना था । इस कानून को भी रिपील कर दिया गया । स्वतंत्रता से पहले दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर्स विभिन्न कानूनों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत शासित होता था, जैसे कि नॉन रेगुलेटेड एरिया 1861, सेमी-रेगुलेटेड एरिया 1861 एंड 1870, नॉन-रेगुलेटेड एरिया 1870 व 1874, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट 1874 और 1919, बैकवर्ड ट्रेक्ट 1919 एंड 1935 और पार्शियली एक्सक्लूटेड एरिया 1935-1947 तक । भारत स्वतंत्र के बाद दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि दार्जिलिंग, तराई और डुअर्स, उस समय दार्जिलिंग जिला बड़ा था, यह एक पार्शियली एक्सक्लूटेड क्षेत्र था, इसलिए पश्चिम बंगाल के कानून हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते थे । उस समय कांग्रेस सरकार ने एब्जॉर्ड एरिया एक्ट, 1954 लागू करके इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के कानून दार्जिलिंग और हमारे क्षेत्र में लागू करने की अनुमति दी । इस प्रकार हमारा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, जितनी भी लेजिस्टेटिव व्यवस्थाएं थीं, उनका हिस्सा बना । एब्जॉर्ड एरिया एक्ट, 1954 के बाद जो आज दार्जिलिंग के साथ हो रहा है, वह भी मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ । भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और न्याय देता है । यह संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है और शासन का मार्गदर्शन भी है । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न्याय का यह वादा पूरे देश के हर कोने तक पहुंचा है, चाहे वह उत्तर पूर्व हो या जम्मू कश्मीर । जो क्षेत्र पहले उपेक्षित थे, आज उनकी बात सुनी जा रही है, उनका सम्मान हो रहा है । यह सबका साथ, सबका विकास की भावना का सच्चा उदाहरण है ।

महोदय, मैं दार्जिलिंग तराई-डुअर्स के लोगों की आवाज बनकर आपके समक्ष विषय रख रहा हूँ । हमारा क्षेत्र लंबे समय से न्याय की प्रतिक्षा में है और ऐसे कानून और समाधान चाहता है, जो हमारी आईडेंटिटी का सम्मान करें और हमारी एस्पिरेशन को पूरा करे । मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर है । इसके लिए हमारे क्षेत्र में एक इंटरलोक्यूटर की नियुक्ति की गई है । यह सरकार की संवाद से समाधान की प्रतिबद्धता को दिखाता है । क्षेत्र की जनसंख्या और डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है । हमारी जमीन, नदियों और संसाधनों का शोषण हो रहा है । इन समस्याओं का हल डीजीएचसी या जीटीए जैसी सेमी-ऑटोनोमस बॉडी से नहीं हो सका। हमें एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है । ऐसा समाधान, जो भारत के संविधान के अंतर्गत हो, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हो ।

माननीय सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री राजू बिष्ट : सर, मैं आपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ ।

माननीय सभापति : एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री राजू बिष्ट : जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार से शीघ्र समाधान के लिए आग्रह करता हूँ । अंत में, यहां टीएमसी के लोग भी बोले, कांग्रेस की तरफ से संघवाद का विषय भी आया । कानून रिपील हो रहे हैं, यह अच्छी बात है । वीडिंग-आउट होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो कानून इस पार्लियामेंट में बनते हैं, कई प्रदेशों में उन कानूनों को लागू नहीं किया जाता । जैसे मैं बताता हूँ कि एफआरए, 2006 दार्जिलिंग तराई-डुअर्स में अब तक लागू नहीं हुआ । लेबर कोड, 2020 पारित हुआ, लेकिन आज भी बंगाल के अंदर रूल्स नहीं बने, जिसके कारण चाय, बागान के श्रमिक अपनी अधिकारों से वंचित हैं । सीएए से लेकर तमाम कानूनों का पश्चिम बंगाल में विरोध होता है । इस भारत के संविधान एक कानून ऐसा भी है, जिसका नाम अनुच्छेद 356 है । मैं इस सदन की ओर से सरकार से मांग करता हूँ कि अनुच्छेद 356 लगाकर पश्चिम बंगाल को न्याय दे, पश्चिम बंगाल के चिकन नेक क्षेत्र को सुरक्षित करे, पश्चिम बंगाल को सुरक्षित करे और भारत को और सशक्त और मजबूत करे । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : धन्यवाद सभापति जी । सभापति जी, तकरीबन 71 ऐसे एक्ट्स हैं, जिनमें अमेंडमेंट की जा रही है । अगर मैं पंजाब के पाइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो वहां 2023 में भी बाढ़ आई और 2025 में भी बाढ़ आई । जो सबसे जरूरी है, वह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 ही है और उसमें केवल जो अमेंडमेंट की गई है, वह यह है कि ?प्रिवेंशन? की जगह ?प्रिप्रेशन? यून करेंगे, लेकिन जरूरत इससे अलग थी । जैसे एक जीएसटी काउंसिल है, उसमें हम हर स्टेट से प्रतिनिधि लेते हैं और फिर वह काउंसिल फैसला करती है । मुझे इसमें भी यही लगता है, क्योंकि जब 2023 में बाढ़ आई, तो बिहार को तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मिल गया । पंजाब में भी बाढ़ आई, लेकिन पंजाब को कुछ भी नहीं मिला । जब बाढ़ आती है, तो वह देखकर नहीं आती कि यहां बीजेपी की सरकार है, सत्ता पक्ष की सरकार है और यहां विपक्ष की है । बाढ़ कहीं भी आ सकती है । मुझे लगता है कि फंड्स की एलोकेशन तभी सही तरीके से हो सकती है, अगर हम सारे स्टेट्स से प्रतिनिधि लें और किस स्टेट का कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से एलोकेशन करें । मुझे लगता है कि इसमें इसी अमेंडमेंट की सबसे बड़ी जरूरत है ।

सभापति महोदय, तकरीबन 11-12 सालों से कोई कानून, एक्ट का जब इम्प्लिमेंटेशन होता है, तो उसे सरकार अपने हिसाब से करती है । एंटी डिफेक्शन लॉ इनके लिए और है और विपक्ष के लिए और है । ऐसे कितने स्टेट्स हैं, ये उसे मिसयूज करके कितनी सरकारें सत्ता पक्ष ने बनाई है । अगर इसके अलावा मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 1966 है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टेटस इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट है । अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, तो पंजाब से कंसल्ट किए बिना आप उसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों बिना पंजाब से कंसल्ट किए उसकी भी स्टेटस चेंज करने की कोशिश की गई, वहां की सीनेट को तोड़ने की कोशिश की गई । जब लोगों ने हल्ला किया, प्रोटेस्ट किया तब केन्द्र ने अपना फैसला वापस लिया । मुझे यही लगता है कि हम एक्ट्स का इम्प्लिमेंटेशन कैसे करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हमारे पंजाब का जो नुकसान हुआ है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है । क्योंकि तकरीबन 16 सौ करोड़ रुपए एनाउंस किया गया है । मैंने कल भी यह मुद्दा सभा में उठाया था और आज मैं कहूंगा कि एक कमेटी का गठन हो जिसमें सभी स्टेट्स से प्रतिनिधि लिए जाएं और वे फंड्स का एलोकेशन करें कि किस स्टेट का कितना नुकसान हुआ है?

माननीय सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, Repealing and Amending Bill, 2025 की चर्चा में 23 लोगों ने भाग लिया है । सभी ने अपने विचार यहां रखे ।? (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Minister, could you stop for one minute? Mr. Hanuman Beniwal wants to speak.

? (interruptions)

**HON. CHAIRPERSON:** That is why, I am seeking the permission of the Minister.

आप दो मिनट में जल्दी बोलिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । सभापति महोदय, प्रस्तावित कानून में कहा गया है, यह बिल समय-समय पर किए जाने वाले उपायों में से एक है, जिसके जरिए ऐसे कानून जो लागू नहीं रहे हैं या पुराने हो गए हैं या जिन्हें अलग कानून के तौर पर रखना जरूरी नहीं है, उन्हें रद्द किया जाता है और कानूनों में पाए गए कुछ बदलावों और औपचारिक कमियों को ठीक किया जाता है ।

सभापति महोदय, आज सदन में मंत्री जी इस बिल पर चर्चा करवाने से पहले अपने संबोधन में कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे । उन्होंने समानता के अधिकार का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी जिक्र किया है । ऐसे में मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या आजादी के दशकों बाद, जब आप पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में हैं, इस देश के दलितों, वचितों और पिछड़ों को न्याय देने के लिए आपने ऐसा क्या नया किया है जिससे उन्हें राहत मिली हो? क्योंकि आज भी कई स्थानों पर दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है । दलित आज भी समानता का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । ये घटनाएं राजस्थान में आपके संसदीय क्षेत्र और मारवाड़ के अंदर अक्सर देखने को मिलती हैं । आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें ।

सभापति महोदय, सत्ता में आने के बाद आपकी सरकार ने कई बार कहा है कि हम गैर जरूरी कानूनों को हटायेंगे, आवश्यक कानूनों को लायेंगे मगर हर रोज आप कोई न कोई बिल लेकर आते हैं तो उससे आपकी उस मंशा पर सवाल खड़े होते हैं जो आपने सत्ता में आने के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में जटिलता खत्म करने के संदर्भ में किया था । सभापति महोदय, मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा है और मैं भी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक के बाद एक विधेयक लाने की जल्दबाजी कर रहे हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है । यह मेरा आग्रह है । क्रिमिनल कोड में सरकार के बड़े कानूनी सुधार के बाद आप कह रहे हैं कि इन सुधारों का मकसद पुराने जमाने के निशानों को हटाना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की क्षमता बढ़ाना और क्रिमिनल कोर्ट का असर बढ़ाना था । दूसरी तरफ मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सरकार के नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार भारत की निचली अदालतों में लगभग 6 मिलियन सिविल केस पेन्डिंग है, जबकि क्रिमिनल केस पेन्डिंग की संख्या 29 मिलियन है । विरासत से जुड़े मामले सिविल केस का हिस्सा है । इस वर्ष फरवरी में लोक सभा में मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि 30 दिसम्बर, 2024 तक के रिकार्ड के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में 1 लाख 19 हजार 906 मामले ऐसे हैं, जो दस वर्षों से लंबित हैं, वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 60 हजार 178 है । विभिन्न श्रेणी

के लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कैसे हो, कैसे त्वरित न्याय मिले, उस पर भी सदन को सोचना चाहिए। समय पर न्याय न मिलना भी अन्याय है।

सभापति महोदय, जनहित याचिकाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार निगरानी तंत्र बनाए। इसी सदन में बजट सत्र में सरकार ने कहा, जनहित से जुड़े मामलों में अवमानना से जुड़े प्रकरणों का विवरण रखा ही नहीं जाता। किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रयास करने चाहिए। वहीं जनहित याचिका जनता से जुड़ी होती है, जनहित याचिकाओं के निर्णय की मोनिट्रिंग नहीं करने व अवमानना की रिपोर्ट को संधारित नहीं करने से जनहित याचिकाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जनहित याचिकाओं के निर्णयों की मोनिट्रिंग के लिए निगरानी तंत्र बनाना चाहिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, आपने मुझे रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 पर चर्चा की अनुमति दी है, आपका धन्यवाद। अब तक इस बिल पर 24 माननीय सदस्य बोले, चर्चा की शुरूआत कांग्रेस पार्टी के डीन कुरियाकोस जी ने की। चर्चा की समाप्ति आरएलपी के श्री हनुमान बेनिवाल जी ने की। हनुमान बेनिवाल जी से पहले 23 लोग बोल चुके थे। आपने अनुमति देकर 24 लोगों को बोलने की अनुमति दी और यह संदेश दिया कि मोदी सरकार 24 घंटे काम करती है, 24x7 काम करती है। भारत को विकसित भारत बनाना है और अगर किसी बिल पर 24 लोग बोले तो अच्छा रहता है, एक अच्छा संदेश दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद।

एक विषय आया कि इन कानूनों को समाप्त क्यों कर रहे हैं, उसे जल्दी में लेकर आ गए क्या? वर्ष 2014 में देश की जनता की कृपा से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार कानून बनाना, अगर कोई ऐसा कानून है, जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको रद्द करना, समाप्त करना या कोई संशोधन करना है तो संशोधन करना, यह सरकार लगातार करती आ रही है।

कांग्रेस पार्टी के साथी बोले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यूपीए-1 और यूपीए-2 में, कांग्रेस पार्टी के शासन में भी रिपीलिंग और अमेंडिंग होता रहा है। लेकिन यूपीए-1 और यूपीए-2 के शासन में वर्ष 2004 से 2014 के बीच में या तो यह काम करना भूल गए या कोई और काम में लग गए, जिससे एक भी कानून रिपील और अमेंड नहीं हुआ। उससे पहले होते रहे क्योंकि लेजिस्लेटिव वर्क का यह भी एक काम है।

भारत के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र पर चलते हुए हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई 2014 से लेकर अब तक 1577 ऑब्सेलीट और रिडंडेंट कानून हो गए थे, उनको निरस्त करने का काम अब तक किया है, जिसमें 1562 कानून पूरी तरह से रिपील हुए और 15 कानूनों को रि-इनएक्ट किया।

सभापति जी, यह जो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, इसमें 71 ऐसे कानून हैं, जिनमें 6 प्रिंसीपल एक्ट्स हैं और 65 अमेंडमेंट्स एक्ट्स हैं, जो हम इस महान सदन के समक्ष लेकर आए हैं। पिछले 11 सालों में 40 हजार से अधिक कम्प्लायंस बर्डन को कम किया है और ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज आफ लीविंग को भी सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मंत्र है कि हमें ईज आफ लीविंग की ओर भी तेजी से बढ़ना है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हमें अपने काम में रखनी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमें देना है और पंथ प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से की थी, यह उसका एक भाग है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, यह हमारा प्रण होना चाहिए। हमें गुलामी के अंशों से मुक्ति पानी होगी, यह भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए,

यह भी हमारा एक प्रण होना चाहिए । हमें एकजुट रहना चाहिए, यह भी हमारा एक प्रण होना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य भाव को बढ़ाना चाहिए, यह भी हमारा प्रण होना चाहिए । जब लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी बोले और उसके क्रम में यह रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल आया है, तो जल्दी से ऐसा नहीं किया गया, बल्कि सोच-विचार करके लाया गया यह बिल है और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है ।

महोदय, एक विषय आया कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ध्यान में नहीं रखा । इसमें एक शब्द प्रिवेंशन आ गया । प्रिवेंशन की जगह हम प्रिपरेशन शब्द जोड़ रहे हैं । प्रिवेंशन आलरेडी उस एक्ट के सैक्शन-32 में है । यह सिम्पल अमेंडमेंट है । डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपके समय में आया, मैं मानता हूँ लेकिन उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अनजाने में त्रुटि ठीक करने के लिए यह संशोधन लाया गया है । इसमें प्रिवेंशन शब्द की जगह प्रिपरेशन शब्द रेक्टिफाई कर रहे हैं और इसका आपको समर्थन करना चाहिए । एक विषय यह आया कि जनरल क्लाजेज एक्ट, 1897 में संशोधन क्यों कर रहे हैं? डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों और सेवाओं को रेशनलाइजेशन तथा रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस या स्पीड पोस्ट सर्विस का मर्जर कर दिया, तो उसके परिणामस्वरूप हम यह संशोधन लेकर आए हैं । रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सप्रेस को स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन से सब्सिट्यूट किया जाएगा । इसमें आपत्ति का कोई विषय नहीं है । हम एक विषय दि इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 लेकर आए । आप कांस्टीट्यूशन के बहुत ज्ञानी हैं । आप देखें कि एक सैक्शन 213 था । यह एक्ट भी 1925 का है । इसमें लिख दिया गया कि कोलकाता, मद्रास और मुम्बई उच्च न्यायालय के मूल सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई वसीयत होगी, तो हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन यदि विल करेंगे तो उसे प्रोबेट कराना पड़ेगा, जिसे वे लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और यदि मुस्लिम करेगा तो प्रोबेट नहीं कराना पड़ेगा । यह भेदभाव पूर्ण एक प्रावधान था, जिसे हम हटा रहे हैं । हमारे कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 15-ए कहता है कि हम जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे । यह एक्ट दि इंडियन सक्सेशन वर्ष 1925 में बना और यह भेदभाव करता था इसलिए यदि एक्ट में भेदभाव का प्रावधान है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी के शासन में किताबों में नहीं रह सकता है इसलिए हम इसे हटाने के लिए आए हैं ।

### **16.29 hrs** (Hon. Speaker in the Chair)

अध्यक्ष जी, आप आसन पर आ गए हैं । प्रस्तावित बिल में छह प्रिंसीपल एक्ट्स हैं और 65 अमेंडमेंट्स से संबंधित एक्ट है । मैं एक विषय आपके समक्ष ला रहा हूँ कि हमारे कालखंड में हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी नागरिकों को प्रमोट करना है, हमें यह लगेगा कि नागरिकों को समान अधिकार देना है, हमें लगेगा कि नागरिकों को हमें सुविधा देनी है तो निश्चित रूप से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और इसी से संबंधित यह बिल है । बिल के अलावा कई विषय आए हैं और आपने कहा है कि बिल के अलावा यदि कोई विषय आए तो उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है । अतः आपके निर्देशों का पालन करते हुए, जो बिल से संबंधित हैं, उनके जवाब ही मैंने दिए हैं ।

माननीय अध्यक्ष : यह आपसे संबंधित नहीं है ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, आपने कहा था बिल के अलावा कोई विषय आता है, तो । यहां तो कई विषय आ गए । हनुमान जी एट्रोसिटी पर बोल गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय हनुमान जी हर विषय के एक्सपर्ट हैं ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, इनके अलावा कई और भी लोग थे, जो कई विषयों पर चले गए । कुछ फार्मर लॉ पर चले गये, कुछ किसी और विषय पर चले गए । कल्याण बनर्जी साहब तो बहुत विद्वान आदमी हैं । ये जजों

के विषय पर चले गए, जो इस बिल से संबंधित नहीं है। कोई इंडिगो में यात्रा कर रहा है। अतः आपके निर्देशों के अनुसार जो विषय आए, उनका जवाब मैंने दे दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए, क्योंकि यह एक प्रोग्रेसिव लॉ है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

??कि विधेयक पारित किया जाए।??

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

—

